केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2017 का अधिनियम संख्यांक 12)

[12 अप्रैल, 2017]

केंद्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर पूर्ति पर कर के उद्धग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होःकृ

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार [1]*** संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करेः

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 3 में उसका है;

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है;

(3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकार अभिलेखों में उपलब्ध है;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत [2][केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड] पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, [3][अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण] [4][अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकरण और धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण] नहीं हैं;

(5) "अभिकर्ता" से फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडेरे एजेंट) किसी नीलामकर्ता या किसी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(6) "सकल आवर्त" से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट- प्राप्त पूर्तियों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों की अंतरराज्यिक पूर्तियों का अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाने वाला सकल मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं हैं;

(7) "कृषक" से ऐसा कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो --

(क) स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा; या

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 92 द्वारा "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा "अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या भाड़े के मजदूरों द्वारा,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भूमि पर खेती करता है;

(8) "अपील प्राधिकारी" से धारा 107 में, अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत यथा निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(9) "अपील अधिकरण" से धारा 109 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(10) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वनिर्धारण, पुनः निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण भी है;

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92क में उसका है;

(13) "संपरीक्षा" से घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और उसके द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा अभिप्रेत है;

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(16) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित [1][केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड] अभिप्रेत है;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित है, --

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पंद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल और सेवाओं सहित माल की पूर्ति या अर्जन;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या किसी ऐसे निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) सुविधाओं या फायदों की कोई व्यवस्था;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदान की गई सेवाएं;

[2][(ज) किसी घुड़दौड क्लब के क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत बुक मेकर को योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से या ऐसे क्लब में किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर के क्रियाकलाप भी है; और]

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;

[3]* * * * * * * * * * * *

(19) "पूंजी माल" से ऐसे माल अभिप्रेत हैं, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा बहियों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं०31 की धारा 221 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जहां उसके कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में यदाकदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है;

(21) "केंद्रीय कर" से धारा 9 के अधीन उद्गृहीत केंद्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(22) "उपकर" का वही अर्थ होगा, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसका है;

(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है;

(24) "आयुक्त" से केंद्रीय कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त केंद्रीय कर प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त एकीकृत कर आयुक्त भी है;

(25) "बोर्ड में का आयुक्त" से धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

(26) "समान पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(27) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "सामान्य कार्य दिवसों" से ऐसे आनुक्रमिक दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित नहीं किया गया है;

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(30) "संयुक्त पूर्ति" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की गई कोई पूर्ति अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय पूर्तियों से मिलकर बनी है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांध गया है और उनकी पूर्ति प्रदाय की गई है, जिनमें एक मूल पूर्ति है;

दृष्टांत -- जहां माल को पैक और बीमा के साथ उसका परिवहन किया जाता है, वहां माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति है और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगी;

(31) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, --

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनकी उत्प्रेरणा के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनकी उत्प्रेरणा के लिए, किसी कार्य या प्रविरिति का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगीः

परंतु माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसी पूर्ति के लिए किए गए संदाय के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन नहीं करता है;

(32) "माल की निरंतर पूर्ति" से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल की पूर्ति भी है जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करे;

(33) "सेवाओं की निरंतर पूर्ति" से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करे;

(34) "प्रवहरण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के [1][खंड (ख)] में यथा परिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(37) "जमा पत्र" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(39) "समझा गया निर्यात" से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित इलैक्ट्रोनिक अभिलेख भी है;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित इनपुटों पर या किसी देशी इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) "इलैक्ट्रोनिक नकद खाते" से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(44) "इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य" से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर के डिजिटल उत्पाद भी हैं;

(45) "इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य के लिए किसी डिजिटल या इलैक्ट्रोनिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(46) "इलैक्ट्रोनिक जमा खाते" से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(47) "छूट-प्राप्त पूर्ति" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिस पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 या धारा 11 के अधीन कर की दर शून्य हो या जो कर से पूर्णतया छूट-प्राप्त हो और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय पूर्ति भी है;

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले संसद् या ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है, --

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित हैं;

(50) "स्थिर स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(52) "माल" से धन और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक् किया जाना तय पाया गया है;

(53) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, सागर तल, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में यथा निर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे की अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

COURT BOOK

(59) "इनपुट" से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(60) "इनपुट सेवा" से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से उसे की गई माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, --

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर,

किंतु इसमें प्रशमन उद्ग्रहण के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(64) "माल की राज्य के भीतर पूर्ति" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;

(65) "सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक पूर्ति" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;

(68) "जॉब कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और "जॉब कर्मकार" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं, --

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए विधिक रूप से हकदार है या जिसे केंन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 [1][और अनुच्छेद 371 ञ] के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद्;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से, --

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

COURT BOOK

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (स्थिर स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(71) "सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान" से, --

(क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (स्थिर स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकार के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुटों का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का आविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आस-पास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकार संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;

(74) "मिश्रित पूर्ति" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं की या उसके किसी ऐसे समुच्चय की, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् पूर्तियां अभिप्रेत हैं, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होती है;

दृष्टांत -- डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज की पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिए की गई है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगी। इन मदों में से प्रत्येक मद की अलग-अलग भी पूर्ति की जा सकती है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगी। यदि इन मदों की अलग-अलग पूर्ति की जाती है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी;

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चेक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चेक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रोनिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसे उसके मुद्रा विषयक मूल्य के लिए धारित किया जाता है;

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में उसका है;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदाकदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;

(78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट हैं;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किंतु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर सम्मिलित नहीं है;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, चाहे वह विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से की गई हो;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, --

(क) कोई व्यष्टि;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब;

(ग) कोई कंपनी;

(घ) कोई फर्म;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(च) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;

(छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी;

(ड) न्यास; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी के अंतर्गत नहीं आता है;

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, --

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य रूप से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा बहियों को अनुरक्षित रखता है; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;

(86) "पूर्ति का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथा निर्दिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है;

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(89) "कारबार का प्रधान स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के प्रधान स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(90) "मूल पूर्ति" से ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के भागरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से केन्द्रीय कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड के आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(92) "तिमाही" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों;

(93) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के "पूर्तिकार" से, --

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल की पूर्ति की गई है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या माल को उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है;

(ग) जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे पूर्ति की गई है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(95) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से, --

(क) उसके पूर्तिकार द्वारा या ऐसे पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए विहित या अन्यथा अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(98) "प्रतिलोम प्रभार" से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार की बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथा निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य पद्धति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

[1][**स्पष्टीकरण** – शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवा" पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या उनका प्रबंध करना सम्मिलित है;]

(103) "राज्य" में विधान-मंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है;

(104) "राज्य कर" से किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "पूर्तिकार" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकार की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

(106) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है;

(107) "कराधेय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है;

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(108) "कराधेय पूर्ति" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

(110) "दूर-संचार सेवा" से किसी वर्णन की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्स्ट सर्विस, वीडियो टैक्स्ट सर्विस, रेडियो पैजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या प्रापण या किसी प्रकृति की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(111) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" से संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(112) "राज्य में के आवर्त" या "संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर की गई (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय पूर्तियों और छूट-प्राप्त पूर्तियों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से की गई माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं हैं;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से, --

(क) किसी व्यष्टि की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से, --

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह;

(ख) लक्षद्वीप;

[1][(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;

[1][(घ) लद्दाख;''

(ङ) चंडीगढ़; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वः निर्धारित कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

(118) "वाउचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां पूर्ति किया जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकार की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या संबंधित दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, जिसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं;

(119) "कार्य संविदा" से जहां किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में माल में संपत्ति का (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) अंतरण अंतर्वलित है;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 118 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

(121) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रतिनिर्देश का, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य के संबंध में, उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 2

प्रशासन

3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी -- सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात्: --

(क) केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय कर प्रधान महानिदेशक;

(ख) केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त या केंद्रीय कर महानिदेशक;

(ग) केंद्रीय कर प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर प्रधान अपर महानिदेशक;

(घ) केंद्रीय कर आयुक्त या केंद्रीय कर अपर महानिदेशक;

(ङ) केंद्रीय कर अपर आयुक्त या केंद्रीय कर अपर निदेशक;

(च) केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय कर संयुक्त निदेशक;

(छ) केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर उपनिदेशक;

(ज) केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या केंद्रीय कर सहायक निदेशक; और

(झ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझेः

परंतु केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा ।

4. अधिकारियों की नियुक्ति -- (1) बोर्ड, धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे ।

(2) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रशासन के लिए, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, धारा 3 के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को केंद्रीय कर सहायक आयुक्त के नीचे की पंक्ति के केंद्रीय कर अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

5. अधिकारियों की शक्तियां -- (1) कोई केंद्रीय कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(2) कोई केंद्रीय कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे केंद्रीय कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य केंद्रीय कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

6. कतिपय परिस्थितियों में राज्य कर अधिकारियों या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार देना -- (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, --

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता अधिकारी को प्रज्ञापना के अधीन, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत आदेश भी जारी करेगा;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ की हैं, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय-वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-कहीं लागू हों, के लिए कोई कार्यवाहियां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं लाई जाएंगी।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. पूर्ति का विस्तार क्षेत्र--(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ति" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी रूप;

[1][(कक) किसी व्यक्ति, किसी व्यष्टि से भिन्न, द्वारा उसके सदस्यों या घाटकों या विपर्येन को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यावन प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घाटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और कार्यकलापों या संव्यवहारों की पूर्ति परस्पर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे ।**]**

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं; [2][और]

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप;

[3](घ) * * * * * * * * * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, --

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को; या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(3) [4][उपधारा (1क) और उपधारा (2)] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें, --

(क) माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा; या

(ख) सेवाओं की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में, माना जाएगा।

8. संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों पर कर का दायित्व -- किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात: --

(क) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई किसी संयुक्त पूर्ति को, जिसमें से एक मुख्य पूर्ति है, ऐसी मुख्य पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा; और

(ख) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई मिश्रित पूर्ति को उस विशिष्ट पूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम हैं।

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 108 द्वारा (1-7-2017) अंत:स्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की उपधारा 3 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की उपधारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 31 की उपधारा 3 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

9. उद्ग्रहण और संग्रहण -- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर की पूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर सभी पूर्तियों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, केंद्रीय माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे सामान्यतया पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन इंधन की पूर्ति पर केंद्रीय कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

[1][(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसे लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हैं ।]

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसकी राज्य के भीतर पूर्ति किए जाने पर कर, यदि सेवाओं की पूर्ति इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की जाती है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी हैः

परंतु यदि किसी इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगाः

परंतु यह और कि जहां किसी इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

10. संयुक्त उद्ग्रहण -- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं थी, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, [2][धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर] जो विहित की जाए, किंतु जो, --

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य पूर्तिकारों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

[3][संगणित कर की रकम] के संदाय का विकल्प चुन सकेगाः

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को [2][पचास लाख रुपए] से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

[1][परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता हैं, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए की जो भी अधिक हो, सेवाओं की पूर्ति कर सकेगा ।]

[4][**स्पष्टीकरण 1 –** दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।";]

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि, --

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की उपधारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की उपधारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की उपधारा 5 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।
[4] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 93 द्वारा अंत:स्थापित।

[1][(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;]

(ख) वह ऐसे किसी माल [1][या सेवा] की पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं हैं;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) वह माल की किसी [5][या सेवा] अंतरराज्यिक आवक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल [2][या सेवा] की पूर्ति करने में नहीं लगा है; [3]*****

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिन्हें सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, [4][अधिसूचित किया जाए; और]

[5][(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :'';]

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।

[3][(2क) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह, --

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उदग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।'';]

(3) [3][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका सकल आवर्त [3][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको [3][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, [3][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

[4][**स्पष्टीकरण 1** – इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 119 के द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 119 के द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 93 के द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया।
[4] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 93 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 93 के द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK

या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 2 – इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य में आवर्त या किसी संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:--

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति ।'।]

11. कर से छूट देने की शक्ति -- (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश के विस्तार या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

अध्याय 4

पूर्ति का समय और मूल्य

12. माल की पूर्ति का समय -- (1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्: --

(क) धारा 31 [1][* * * * * *] के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है:

परंतु जहां कराधेय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक पूर्ति का समय, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण 1 -- खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ति" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आती है।

स्पष्टीकरण 2 -- खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "ऐसी तारीख, जिसको पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है", वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम तारीख होगा, अर्थात: --

(क) माल प्राप्ति की तारीख; या

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया ।

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

COURT BOOK

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चातवर्ती तारीखः

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगी।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाउचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय, --

(क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, --

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसका कर संदत्त किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

13. सेवाओं की पूर्ति का समय -- (1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय पर उद्‌भूत होगा।

(2) सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम तारीख होगा, अर्थात: --

(क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 [1][* * * * * *] के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 [1][* * * * *] के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता हैः

परंतु जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम से संबंधित बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण -- खंड (क) और खंड (ख) क प्रयोजनों के लिए, --

(i) पूर्ति को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आती है;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा-बहियों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदत्त किए जाने के लिए दायी है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात: --

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चातवर्ती तारीखः

---

[1] 2018 के अधिनियम सं 31 की धारा 7 द्वारा लोप किया गया।

COURT BOOK

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगाः

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाउचर प्रदान किए जाने की दशा में पूर्ति का समय, --

(क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, --

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

14. माल या सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन -- धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां पूर्ति के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात: --

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर दी गई है, उस दशा में,--

(i) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी उसके पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा;

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किन्तु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा; या

(iii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किन्तु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति किए जाने की दशा में, --

(i) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किन्तु बीजक कर की दर में परिवर्तन से पूर्व जारी कर दिया गया है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा;

(ii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किन्तु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगाः

परन्तु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में संदाय को जमा करने की तारीख होगी, यदि बैंक खाते में ऐसा जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय प्राप्ति की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा-बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

15. कराधेय पूर्ति का मूल्य -- (1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।

(2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, --

(क) इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदगृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसी पूर्ति के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किन्तु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैकिंग भी है और माल या सेवाओं की पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम;

(घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायिकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पूर्ति के मूल्य में ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो --

(क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसी पूर्ति के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है; और

(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि --

(i) ऐसी छूट ऐसी पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जो पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट के कारण प्राप्त हुआ है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्तियों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण -- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए --

(क) ऐसे व्यक्तियों को "संबंधित व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि, --

(i) ऐसे व्यक्ति एक-दूसरे के कारबारों के अधिकारी या निदेशक हैं;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार हैं;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं;

(iv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व या नियंत्रण है या वह उन्हें धारण करता है;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं;

(vii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं;

(ख) "व्यक्ति" पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी हैं;

(ग) कोई व्यक्ति, जो एक-दूसरे के कारबार से सहबद्ध हैं, जिनमें एक, अन्य व्यक्ति का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी रूप में वर्णित हो, है, संबंधित व्यक्ति समझा जाएगा ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें -- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में उसको की गई ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर

का प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिनका उसके कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

COURT BOOK

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको की गई किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक, --

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

[1][(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तकर्ता को संसूचित किए गए हैं ।]

(ख) उसने माल या सेवाओं या दोनों को प्राप्त न कर लिया हो।

[2][(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;]

[3][**स्पष्टीकरण --** इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है –

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचालन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है ।]

(ग) [4]*** के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत न कर दी हो:

परन्तु जहां किसी बीजक के प्रति माल, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगाः

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगाः

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदाय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट [5][*****] संबंधित है, अंत पर आगामी [6][30 नवंबर] के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

17. प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन -- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 109 के द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 100 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 100 द्वारा "धारा 43क" शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 120 के द्वारा "से संबंधित बीजक" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर पूर्तियों सहित कराधेय पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर पूर्तियों सहित उक्त कराधेय पूर्तियों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसी पूर्ति, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर के संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

[1][**स्पष्टीकरण –** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य" पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।]

(4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय संस्था के पास, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धनों को प्रदान करके सेवाओं की पूर्ति करने में लगी हुई है, या तो उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या प्रत्येक मास में उस मास के इनपुटों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगाः

परन्तु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात: --

[2][(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:--

(अ) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग –

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:--

(अ) ऐसे जलयान या वायुयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा –

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां किसी ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो –

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

COURT BOOK

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति –

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौदर्यं उपचार, स्वास्थ्य सेवाए, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान, पट्टे, किराए या भाड़े पर देना सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय तब उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय सम्मिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को दिए गए यात्रा फायदे :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदान करना बाध्यकर हो ।]

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनकी पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए की जाती है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा आगे और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के वास्ते (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाएं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण -- खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति के पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

(ङ) ऐसे माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, अपलिखित दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा व्ययनित माल;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसे उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय प्रदान किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण -- इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और बुनियाद या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसी बुनियाद या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं, --

(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल संरचनाएं;

(ii) दूर-संचार टावर; और

(iii) कारखाना परिसरों के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें।

18. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता -- (1) ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, --

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिया गया है, स्टाक में धारित इनपुटों और उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित, अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है, स्टाक में धारित इनपुटों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना बंद कर देता है, वहां वह उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित इनपुटों, स्टाक में धारित अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगाः

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु द्वारा कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए;

(घ) जहां किसी रजिस्टीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की छूट-प्राप्त पूर्ति कराधेय पूर्ति हो गई है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी छूट-प्राप्त पूर्ति से संबंधित स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसी पूर्ति कराधेय हुई है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसी छूट प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगाः

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु द्वारा कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे की गई माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्वों के अंतरण में विनिर्दिष्ट उपबंधों के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में अनुपयोजित है।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है या जहां उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को पूर्ण रूप से छूट-प्राप्त हो गई है, वहां वह इलैक्ट्रोनिक जमा खाते या इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है जिसमें से, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को, जो विहित किया जाए, कम किया गया हैः

परन्तु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगाः

परन्तु जहां स्क्रैप के रूप में रिफ्रैक्टरी ईटों, सांचों और डाई, जिग्स और फिक्सचरों की पूर्ति की जाती है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

19. जॉब कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना -- (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, इनपुटों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(3) जहां प्रधान को, जॉब कार्य के लिए भेजे गए इनपुट भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार जॉब कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होते है या जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब कर्मकार को ऐसे इनपुटों की पूर्ति उस दिन की गई थी, जब उक्त इनपुट भेजे गए थेः

परंतु जहां किसी जॉब कर्मकार को सीधे इनपुट भेजे जाते हैं, वहां एक वर्ष की अवधि की संगणना जॉब कर्मकार द्वारा इनपुटों को प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

(4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान, पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब कार्य के लिए किसी जॉब कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां प्रधान को, जॉब कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब कर्मकार को ऐसे पूंजी माल की पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल भेजा गया थाः

COURT BOOK

परंतु जहां किसी जॉब कर्मकार को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की संगणना जॉब कर्मकार द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

COURT BOOK

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात, जॉब कार्य करने के लिए किसी जॉब कर्मकार को भेजे गए सांचों और डाई, जिग्स और फिक्सचरों और औजारों को, लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ।

20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति -- (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरित किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, केंद्रीय कर के प्रत्यय का केंद्रीय कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या केंद्रीय कर के रूप में वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात्: --

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के प्रति, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;

(ख) वितरित किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा;

(घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ताओं को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी निवेश सेवा मानी गई है और जो सुसंगत अवधि के दौरान, चालू वर्ष में प्रचालन कर रहे हैं, सकल आवर्त का अनुपाततः होगा;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं की, जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रचालन कर रहे हैं, के सकल आवर्त का अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, --

(क) "सुसंगत अवधि", --

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी;

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले की, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के तत्समान स्थायी खाता संख्यांक रखने वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही ऐसे माल की, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की [1][प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क के अधीन] और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है ।

21. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति -- जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप, प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है, वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति -- (1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक पूर्तिकार, विशेष प्रवर्ग के राज्यों से भिन्न ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए दायी होगा, जहां वह माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका सकल आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है:

परंतु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका सकल आवर्त दस लाख रुपए से अधिक है।

[1][परंतु यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद की सिफारिशों पर पहे परंतुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को दस लाख रूपए से ऐसी रकम, जो बीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए, तक बढ़ा सकेगी।]

[2][परंतु यह भी कि सरकार, राज्य के अनुरोध पर और परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रूपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।''।]

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, किसी विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के, लेखे अंतरित किया जाता है, वहां, यथास्थिति, अंतरिती या उत्तराधिकारी, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले में अंतरण की दशा में अंतरिती ऐसी तारीख से जिसको उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, --

(i) "सकल आवर्त" पद में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्तियां, चाहे वे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी प्रधान व्यक्तियों की ओर से की गई हो, सम्मिलित हैं;

(ii) रजिस्ट्रीकृत जॉब कर्मकार द्वारा जॉब कार्य पूर्ण करने के पश्चात्, माल की पूर्ति, धारा 143 के निर्दिष्ट प्रधान द्वारा माल की पूर्ति मानी जाएगी और ऐसे माल के मूल्य को रजिस्ट्रीकृत जॉब कर्मकार के सकल आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(iii) [3]["विशेष प्रवर्ग राज्यों" पद से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] [4][और अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य संविधान के] अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं।

23. व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है -- (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात: --

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या जिन्हें कर से पूर्ण रूप से छूट-प्राप्त है;

(ख) कोई कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

24. कतिमय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण -- धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,--

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 94 के द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(i) व्यक्ति, जो अंतरराज्यिक कराधेय पूर्ति करते हैं;

(ii) कराधेय पूर्ति करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति;

(iii) व्यक्ति, जिनसे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;

(iv) व्यक्ति, जिनसे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;

(v) कराधेय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति;

(vi) व्यक्ति, जिनसे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हों या नहीं;

(vii) व्यक्ति, जो चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;

(ix) व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है;

(x) प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक; [1][जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है;]

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के किसी स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की भारत में किसी व्यक्ति को पूर्ति करता है;

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

25. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया -- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगाः

परंतु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिन पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

[2][परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।'']

स्पष्टीकरण -- प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से पूर्ति करता है, ऐसे तटीय राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने वाले व्यक्ति को किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगाः

[3][परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।]

(3) कोई व्यक्ति, जो यद्यपि धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है, स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे वे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण, चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों में अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करना अपेक्षित है ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा।

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

COURT BOOK

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने हेतु पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक रखेगाः

[1][(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है ।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशिक नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या किसी राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में उसका है ।'।]

परंतु ऐसा व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्यांक के बजाय, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने हेतु पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्यांक रख सकेगा ।

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति को, ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के आधार पर उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।

(8) जहां कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में विफल हो जाता है, वहां उचित अधिकारी, ऐसी किसी कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी --

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित बहुपक्षी वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशों के कौंसल-कार्यालय या राजदूतावास को; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर करों का प्रतिदाय भी है जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्यांक को मंजूर किया जाएगा ।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित किया जाए, मंजूर किया जाएगा या नामंजूर किया जाएगा ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 95 के द्वारा अंत:स्थापित ।

(11) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, और ऐसी तारीख से जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(12) किसी रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्यांक को, उपधारा (10) के अधीन विहित अवधि के अवसान के पश्चात् मंजूर किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।

T BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

26. माना गया रजिस्ट्रीकरण -- (1) राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक को मंजूर किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक का मंजूर किया जाना समझा जाएगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा।

27. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध -- (1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् कराधेय पूर्तियां करेगाः

परंतु उचित अधिकारी, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाने वाले पर्याप्त कारणों से उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण की वांछा की गई है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम जमा करेगाः

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय के विस्तारण की वांछा की गई है, वहां ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि, जिसके लिए विस्तारण की वांछा की गई है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम को जमा करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और उसका उपयोग धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में किया जाएगा।

28. रजिस्ट्रीकरण का संशोधन -- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्यांक समनुदेशित किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के समय या तत्पश्चात् दी गई सूचना में किसी परिवर्तन के संबंध में ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, उचित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या उन्हें नामंजूर करेगाः

परंतु ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगाः

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा।

(3) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का नामंजूर किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन नामंजूर किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।

29. [1][रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन] -- (1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक वारिसों द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां, --

(क) कारबार किन्हीं कारणों से, जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु, किसी अन्य विधिक अस्तित्व के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा व्ययन भी है, बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है; या

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है; या

[2][(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो;''।]

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

[2] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 121 के द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा ।]

COURT BOOK

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख से जिसके अंतर्गत कोई भूतलक्षी तारीख भी है, जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां --

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, [1][उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी] प्रस्तुत नहीं की है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने [1][ऐसी लगातार कर अवधि, जो विहित की जाए, के लिए] विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया हैः

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

[2][परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा ।]

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर का संदाय करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्यों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी ऐसी बाध्यता के, जो रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए है, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या उसके पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है, इलैक्ट्रोनिक जमा खाते या इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध-परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में इनपुट कर के प्रत्यय या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर के प्रत्यय के समतुल्य हैः

परंतु पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की दशा में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर ऐसी रकम का, जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु, जो विहित किए जाएं, से घटाकर आए या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें जो भी अधिक हो, संदाय करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन संदेय रकम, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, से संगणित की जाएगी ।

30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण -- (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगाः

[3][परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, --

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए,

बढ़ाई जा सकेगी ।'']

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 101 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।
[3] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 122 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 7

कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट

31. कर बीजक -- (1) कराधेय माल की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, --

(क) जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, वहां प्राप्तिकर्ता को पूर्ति के लिए माल को हटाए जाने से पूर्व या हटाते समय; या

(ख) किसी अन्य मामले में, माल के परिदान या प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध कराए जाने से पूर्व या कराते समय,

माल का वर्णन, परिमाप और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगाः

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, माल या आपूर्तियों के ऐसे प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवा के उपबंध के पूर्व या पश्चात्, किंतु विहित अवधि के भीतर माल के वर्णन, परिमाप और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगाः

[1][परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,--

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में –

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा ।''।]

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, --

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रारंभ होने वाली और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के प्रति पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य दो सौ रुपए से कम है;

(ग) छूट-प्राप्त माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक पूर्ति बिल जारी करेगाः

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय पूर्ति बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो सौ रुपए से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसी संदाय की प्राप्ति का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, किन्तु तत्पश्चात् कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के प्रति कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 123 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे पूर्तिकार से, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवा या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, ऐसे पूर्तिकार को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, संदाय करते समय संदाय वाउचर जारी करेगा।

(4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में, जहां लेखाओं के विवरण या आनुक्रमिक संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक को, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे विवरण को जारी करते समय या उससे पूर्व या, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में, --

(क) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित किया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां बीजक उस समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति रुक जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति रुक जाती है और ऐसा बीजक ऐसे रुकने से पूर्व हुई पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहे या लिए जा रहे माल को पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास में, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अंतर्गत पहले की गई किसी पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक भी होगा।

[1][(31क.) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प देगा।"।]

32. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध -- (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।

33. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम -- इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है, निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, कर बीजक और अन्य समान दस्तावेजों में कर की उस रकम को, जो उस मूल्य का भाग होगी, जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है, प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।

34. जमापत्र और नामे नोट -- (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए [2][एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है] और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर, ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किए गए माल को प्राप्तिकर्ता द्वारा वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला [3][किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक] कर सकेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमापत्र जारी करता है, ऐसे जमापत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा, जिसके दौरान ऐसा जमापत्र जारी किया गया है, परंतु ऐसा उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी पूर्ति

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 96 के द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

की गई थी, के अंत के पश्चातवर्ती [1][30 नवबंर] से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, इनमें जो भी पूर्वतर हो, से पूर्व किया जाएगा तथा कर दायित्व, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगाः

COURT BOOK

परंतु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है, तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए [1][एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है] और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर को ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को, ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला [1][किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक] जारी करेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे नोट जारी करता है ऐसे नामे नोट के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे नोट जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण -- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे नोट" पद के अंतर्गत कोई अनुपूरक बीजक भी है।

अध्याय 8

लेखा और अभिलेख

35. लेखा और अन्य अभिलेख -- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथावर्णित अपने कारबार के मूल स्थान पर --

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;

(ग) माल का स्टाक;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं,

का सत्य और शुद्ध लेखा रखेगा और उसे अनुरक्षित रखेगाः

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में काराबार के एक से अधिक स्थान विनिर्दिष्ट हैं, वहां काराबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखा काराबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे;

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखा और अन्य विशिष्टियां इलैक्ट्रोनिक रूप में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रख सकेगा और उन्हें अनुरक्षित रख सकेगा।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती के अभिलेख और माल के ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे रखेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग अधिसूचित कर सकेगा, जो अतिरिक्त लेखा या दस्तावेज बनाए रखेंगे।

(4) जहां आयुक्त यह समझता है कि कराधेय व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखा रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लेखा अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

[2]* * * * * * *

[3][परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखा बहियां, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।]

---

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 102 द्वारा "सितंबर मास" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 110 द्वारा "उपधारा 5" का लोप किया गया।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में असफल रहता है, वहां उचित अधिकारी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों पर, जिनका लेखा नहीं दिया गया है, संदेय कर की रकम इस प्रकार अवधारित करेगा, मानो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

36. लेखाओं के प्रतिधारण की अवधि -- धारा 35 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन्हें ऐसे लेखाओं और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से बहत्तर मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगाः

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही, चाहे वह उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या वह अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषय-वस्तु से संबंधित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चातवर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा ।

अध्याय 9

विवरणियां

37. जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना -- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति [1][ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रानिक रूप में और] ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, कर अवधि के दौरान की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन से पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे [1][ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं]:

[2]* * * * * * *

[1][परंतु] आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

[1][परंतु यह और कि] राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तारण आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

[2]* * * * * * *

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं [2]*** उनमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर, ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुधार करेगा तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चातवर्ती [1][30 नवंबर] के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण -- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "जावक पूर्तियों के ब्यौरे" पद के अंतर्गत किसी कर अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे नोट, जमापत्र और पुनरीक्षित बीजकों के ब्यौरे भी हैं ।

[3][(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा पूर्ववर्ती कर अवधियों में से किसी अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगी भले ही उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं ।]

---

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 103 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 103 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 103 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**38. आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना**—(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसी अन्य पूर्तियों, जो विहित की जाएं, के ब्यौरे और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वत: सृजित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध करवाएं जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वत: जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके ; और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, प्राप्तकर्ता द्वारा धारा **37** की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, निम्नलिखित द्वारा नहीं लिया जा सकता,—

(i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(ii) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, जारी रहा है ; या

(iii) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है **;** या

(iv) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस के द्वारा खंड (क) के अनुसार लिया जा सकता है ऐसी सीमा से अधिक है, जो विहित की जाए **;** या

(v) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है **;** या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं ।**]**

39. विवरणियां देना – [2][(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाएं, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदेत कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रोनिक रूप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।]

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर एक विवरणी इलैक्ट्रोनिक रूप में देगा ।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् तेरह दिन के भीतर इलैक्ट्रोनिक रूप में एक विवरणी देगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, कलैंडर मास के अंत के पश्चात् [3][तेरह] दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर इनमें जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रोनिक रूप में एक विवरणी देगा ।

(6) आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगाः

---

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 97 के द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 6 की धारा 105 द्वारा "बीस" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

COURT BOOK

[1][(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस अंतिम तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

[1][परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करता है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,—

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को गणना में लेकर देय कर के समतुल्य की रकम ; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के बदले ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम,

का संदाय करेगा ।]

परंतु यह और कि उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में व्यापारावर्त माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और में ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा ।''।]

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई है या नहीं ।

(9) [1][जहां] किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए, [2][ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाएं] दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगाः

परंतु [2][ऐसे वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित है, समाप्ति] के पश्चात् [1][30 नवंबर] या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, इनमें जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की अंतिम तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए [1][पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों ।]

40. प्रथम विवरणी -- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया था, उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, के बीच की अवधि में जावक पूर्तियां की हैं, उसे रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उनकी घोषणा करेगा ।

[3][**41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग**—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए अपनी विवरणी में यथा स्व:निर्धारित पात्र इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी ।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया इनपुट कर प्रत्यय, जिस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित हो जाएगा :

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुन: प्राप्त कर सकेगा ।]

---

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 105 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।
[3] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 106 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]* * * * * * *

[1]* * * * * * *

[1]* * * * * * *

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[2][**44. वार्षिक विवरणी**--किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ मिलाते हुए, एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी ।]

45. अंतिम विवरणी -- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

46. विवरणी व्यतिक्रर्मियों को सूचना -- जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उससे विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी ।

47. विलंब फीस का उद्ग्रहण -- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 [3]*** के अधीन अपेक्षित जावक [4]*** पूर्तियों के ब्यौरे या [5]*** के अधीन अपेक्षित विवरणियां अंतिम तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो नियत तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके आवर्त के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा ।

48. माल और सेवा कर व्यवसायी -- (1) माल और सेवा कर व्यवसायियों के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, उन्हें हटाने की रीति तथा अन्य ऐसी शर्तें, जो उनके कार्यकरण के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे, [6]*** और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए [7][और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए] प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी में प्रस्तुत किसी विशिष्टि या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

अध्याय 10

कर का संदाय

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निर्बंधनों के अधीन

---

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 107 द्वारा धारा 42, धारा 43, और धारा 43क का लोप किया गया ।
[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 108 द्वारा "या आवक" शब्दों का लोप किया गया ।
[4] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 108 द्वारा "या धारा 38" शब्दों का लोप किया गया ।
[5] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 108 द्वारा "धारा 39 या धारा 45" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 109 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किए गए प्रत्येक निक्षेप को ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जमा किया जाएगा ।

COURT BOOK

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वःनिर्धारित इनपुट कर प्रत्यय को उसके इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, [1][धारा 41 [2]***] के अनुसरण में जमा किया जाएगा।

(3) इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(4) इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर का संदाय करने के मद्दे, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों [3][और निर्बंधनों] के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में --

(क) एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ग) राज्य कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

[4][परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;]

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

[1][परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;]

(ङ) केंद्रीय कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रोनिक नकद खाते या इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में अतिशेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रोनिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों को निम्नलिखित क्रम में चुकाएगा, अर्थात्: --

(क) स्वः निर्धारित कर और पूर्व कर अवधियों की विवरणियों से संबंधित अन्य शोध्य;

(ख) स्वः निर्धारित कर और चालू कर अवधि की विवरणी से संबंधित अन्य शोध्य;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।
[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 110 द्वारा "या धारा 43क" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 110 द्वारा "और निर्बंधनों" शब्दों का अंत:स्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।

COURT BOOK

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को संक्रांत कर दिया है।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, --

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा किए जाने की तारीख को इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद, --

(i) "कर शोध्यों" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति नहीं है; और

(ii) "अन्य शोध्यों" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

[1][(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को—

(क) एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर ; या

(ख) धारा 25 की, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट किसी सुभिन्न व्यक्ति के एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा :

परंतु खंड (ख) के अधीन ऐसा कोई अंतरण तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का, उसके इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत्त दायित्व है।]

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।

[2][(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन, आउटपुट कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।]

[3][**49क. कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग** – धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के मद्दे, केवल तब तक किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

49ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश – इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे इनपुट का प्रत्यय के उपयोग किए जाने के क्रम और रीति को विहित कर सकेगी।]

50. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज -- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर, जो अठारह

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 110 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 110 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

COURT BOOK

प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और जो केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, ब्याज का संदाय करेगा।

[1][परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय और नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग पर संदेय होगा, जिसे इलैक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।]

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चातवर्ती दिन से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

[2][(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलत तौर पर लिया गया है और उसका उपयोग किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत तौर पर लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।]

51. स्रोत पर कर कटौती -- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार,--

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

(जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" कहा गया है), कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "ऐसा व्यक्ति, जिससे कटौती की गई है" कहा गया है) को किए गए संदाय या दिए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसी पूर्ति का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी:

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है, जो, यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण -- ऊपर विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए पूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के जिसमें ऐसी कटौती की गई है, अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा।

[3][(3) स्त्रोत पर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।'';]

[4]* * * * * * * * * * * * *

(5) ऐसा व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, अपने इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 112 के द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 124 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 124 के द्वारा लोप किया गया।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय करने के संबंध में धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगीः

COURT BOOK

परंतु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, ऐसे व्यक्ति, जिससे कटौती की जा रही है, के इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय कर दिया गया है ।

52. स्रोत पर कर का संग्रहण -- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक ऐसी रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके माध्यम से अन्य पूर्तिकारों द्वारा की गई कराधेय पूर्तियों के कुल मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है ।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "कराधेय पूर्तियों का शुद्ध मूल्य" से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय पूर्तियों, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न है, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा पूर्ति की गई है, समग्र मूल्य अभिप्रेत है, जिसमें से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारों द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय पूर्तियों के समग्र मूल्य को घटा दिया गया है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करने की शक्ति, प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रहण किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रोनिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

[1][परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।]

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उपधारा के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रोनिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

[3][परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।]

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन संबंधी कार्यकलापों से भिन्न हैं, तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगाः

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों को इस प्रकार शुद्ध किए जाने की अनुज्ञा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् [2][30 नवंबर] या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् नहीं दी जाएगी ।

(7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, संगृहीत रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक के विवरण में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय का दावा करेगा ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 101 के द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 112 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तियों के ब्यौरों का, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के तत्समान ब्यौरों के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे, [1][धारा 37 या धारा 39] के अधीन पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत तत्समान ब्यौरों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो इस फर्क की दोनों व्यक्तियों को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी फर्क की संसूचना दी गई है और जिसको पूर्तिकार द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें फर्क की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा उस मास के जिसमें फर्क की सूचना दी गई थी, पश्चातवर्ती मास की विवरणी में प्रस्तुत जावक पूर्तियों के मूल्य से अधिक है।

(11) संबंधित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर का संदाय, जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर संगणित ब्याज सहित करेगा।

(12) उपायुक्त के रैंक से निम्न का कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके दौरान प्रचालक से निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए उसे सूचना की तामील कर सकेगा --

(क) किसी अवधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत माल का स्टाक, जिसका प्रबंध ऐसे प्रचालक द्वारा किया जा रहा है और जिसके संबंध में ऐसे पूर्तिकारों ने कारबार के अतिरिक्त स्थानों के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित पूर्तिकार" पद से प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।

53. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण -- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित हैं, केन्द्रीय कर के रूप में संगृहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, केंन्द्रीय कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।

[2]**[53क. कतिपय रकमों का अंतरण** – जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर दिया गया है, वहां सरकार, राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी।]

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. कर का प्रतिदाय -- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है, सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगाः

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 102 के द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में किसी अतिशेष के प्रतिदाय का दावा करता है, [1][ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति] में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा ।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, और जो उसके द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों के लिए संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए हकदार है, ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से [2][छह मास] के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगाः

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा --

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य रेटेड पूर्तियां ;

(ii) जहां इनपुटों पर कर की दर के, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों के सिवाय आउटपुट पूर्तियों (शून्य रेटेड या पूर्णतः छूट-प्राप्त पूर्तियों से भिन्न) पर कर की दर से अधिक होने के कारण प्रत्यय संचित हुआ हैः

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल को निर्यात शुल्क के अध्यधीन किया जाता हैः

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे --

(क) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य जो यह स्थापित करने के लिए विहित किए जाएं कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य हैं; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज भी हैं) जैसा कि आवेदक यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ऐसे कर पर ब्याज, यदि कोई है, का संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे संगृहीत किया गया था या उसके द्वारा संदाय किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया हैः

परंतु जहां प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, वहां आवेदक के लिए कोई दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेजी या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज के चुकाए जाने को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है ।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग प्रतिदेय है तो वह तद्नुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम को धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में जमा करेगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड पूर्ति के मद्दे प्रतिदाय के किसी दावे के मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उपधारा (5) के अधीन आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदेय रकम को निधि में जमा किए जाने के स्थान पर आवेदक को उसका संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है --

---

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 113 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 113 द्वारा “छह मास” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) शून्य अंकित माल या सेवा या दोनों की [1][निर्यात] या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी [1][निर्यातों] के लिए किया गया है, पर संदत्त कर के प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (3) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय;

(ग) पूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर के प्रतिदाय;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा वहन किया गया कर या ब्याज।

[2][(8क) सरकार, राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए ।''।]

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में के सिवाय कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

(10) जहां किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे किसी ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, को [3]*** कोई प्रतिदाय शोध्य है, वहां समुचित अधिकारी --

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या, यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी ऐसे कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत्त रहती है, कटौती कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

(11) जहां किसी प्रतिदाय को उत्पन्न करने वाला आदेश किसी अपील या आगे और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त की यह राय है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा ।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली छह प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का हकदार होगा, यदि अपील या आगे और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(13) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस संपूर्ण अवधि के लिए, जिसके लिए उसे अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त बना रहा था, धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी हैं ।

(14) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रुपए से कम है।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए --

(1) "प्रतिदाय" में माल या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड पूर्ति या ऐसी शून्य रेटेड पूर्तियों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में माल की पूर्ति पर कर का प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित तारीख अभिप्रेत है --

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 103 के द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 113 द्वारा "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों का लोप किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) भारत से निर्यात किए गए माल की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे माल के लिए स्वयं या ऐसे माल में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है --

(i) यदि माल का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे माल की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(ii) यदि माल का आयात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(iii) यदि माल का आयात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख;

(ख) माने गए निर्यातों के संबंध में माल की पूर्ति की दशा में जहां माल के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की जाती है;

[1][(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;"]

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख --

(i) संपरिवर्तनतीय विदेशी मुद्रा में [2][या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा दी जाए] संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की पूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया था; या

(ii) बीजक जारी करने, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां किसी अपील प्राधिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तारीख;

[3][(ङ) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख;]

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है वहां कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;

(छ) पूर्तिकार से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख ।

55. कतिपय मामलों में प्रतिदाय -- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे ।

56. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज -- यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली छह प्रतिशत से अनधिक की दर पर उक्त उपधारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगाः

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश, जो अंतिम आदेश हो गया है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप फाइल किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, वहां परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 113 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के ठीक पश्चातवर्ती तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा ।

COURT BOOK

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है, वहां अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

57. उपभोक्ता कल्याण निधि -- सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित को ऐसी रीति में जमा किया जाएगा जो विहित की जाए --

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम;

(ख) निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से हुई किसी आय; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां ।

58. निधि का उपयोग -- (1) निधि में जमा की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

अध्याय 12

निर्धारण

59. स्वः निर्धारण -- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

60. अनंतिम निर्धारण -- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उनको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है, वहां वह अनंतिम आधार पर कर के संदाय के कारणों को देते हुए समुचित अधिकारी को लिखित में अनुरोध कर सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् की अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करते हुए आदेश पारित करेगा ।

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक बंधपत्र ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे और जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए आबद्ध करती हो, के साथ निष्पादित करता है ।

(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगाः

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किन्तु जिसका संदाय धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नियत तारीख तक नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर माल या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिवस से संदाय की वास्तविक तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है वहां ऐसे प्रतिदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित ब्याज का संदाय किया जाएगा ।

61. विवरणियों की संवीक्षा -- (1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की, विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा कर सकेगा और ध्यान में आए फर्कों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उनके संबंध में उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

COURT BOOK

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तद्नुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने की तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति फर्क को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें फर्क स्वीकार किया गया था, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उपयुक्त कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाइयां हैं या वह धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

62. विवरणियों को फाइल न करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण -- (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि और उपलब्ध तात्विक सामग्री या उस सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिससे असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है, वहां उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व बना रहेगा ।

63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण -- धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर संदाय करने का दायी था, वहां समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि और उपलब्ध तात्विक सामग्री या उस सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिससे असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगाः

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

64. कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण -- (1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैः

परंतु जहां कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की पूर्ति के संबंध में है तो ऐसे माल के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के लिए दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा -- (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी अवधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने स्वयं के कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगाः

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए उसका विस्तार कर सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "लेखापरीक्षा का आरंभ" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं या कारबार के स्थान पर, लेखापरीक्षा वास्तविक रूप से आरंभ की जाती है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो ।

(5) लेखापरीक्षा के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,--

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करने;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने ।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों की सूचना देगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि कर का संदाय नहीं किया गया है या कम कर संदत्त किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा ।

66. विशेष लेखापरीक्षा -- (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से परीक्षा करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकांउटेंट या लागत लेखापाल नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगाः

परंतु सहायक आयुक्त, उसे इस निमित्त किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्त्विक और पर्याप्त कारण से उक्त अवधि को नब्बे दिन की और अवधि के लिए उसका विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की परीक्षा और लेखापरीक्षा के व्ययों, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि कर का संदाय नहीं किया गया है या कम कर संदत्त किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

67. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति -- (1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि --

(क) किसी कराधेय व्यक्ति ने माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या अपने पास रखे गए माल के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) माल के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे माल को रख रहा है जो कर के संदाय से बच गए हैं या उसने अपने लेखाओं या माल को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

वहां वह लिखित में केंद्रीय कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या माल के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी कारबार के स्थानों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी किसी माल या किसी दस्तावेज या बहियों या चीजों को जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह केन्द्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे माल, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और उनका अभिग्रहण कर सकेगाः

परंतु जहां ऐसे माल का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी माल के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल को नहीं हटाएगा, उसे स्वयं से अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनका व्यौहार नहीं करेगाः

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज, बहियां या चीजें, जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को, किन्हीं परिसरों के द्वारों को सील करने की या उन्हें तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रोनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रोनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच प्रदान करने से इंकार किया जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय पर, जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, उद्धरण लेने का हकदार होगा, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर, यथास्थिति, बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसी मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए या लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है वहां माल को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया थाः

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ।

(8) सरकार, किन्हीं मालों के नश्वर होने या परिसंकटमय प्रकृति का होने, समय के साथ माल के मूल्य में अवक्षयण, माल के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा माल या मालों के ऐसे वर्ग को घोषित कर सकेगी, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा ।

(9) जहां किन्हीं मालों का, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वहां वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा ।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया हो ।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा ।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का क्रय, ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या पूर्ति बिलों की जांच करने के लिए करवा सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए माल के वापस करने पर ऐसा कराधेय व्यक्ति या कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति माल के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का, पूर्व में जारी किए गए कर बीजक या पूर्ति बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

68. संचलन में माल का निरीक्षण -- (1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मालों के परेषण का प्रवहण करने के लिए प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों, जो विहित की जाएं, को साथ रखने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन साथ रखने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहण को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है, वहां वह उक्त प्रवहण के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों को सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा माल के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा ।

69. गिरफ्तार करने की शक्ति -- (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा अपराध कारित किया है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा केंद्रीय कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है वहां व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की सूचना देगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए --

(क) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में उसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में, उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वही शक्तियां होंगी जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं और वह उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा जिनके अधीन पुलिस थाने का प्रभारी व्यक्ति होता है ।

70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति -- (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को वह किसी जांच में साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसी कि किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा ।

71. कारबार परिसरों तक पहुंच -- (1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी ऐसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, को करने के प्रयोजनों के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर, चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा के निरीक्षण के लिए और ऐसी अन्य चीजों तक, जिनकी वह अपेक्षा करे और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर पहुंच होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट को --

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है;

(ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य;

(iii) सम्यक्तः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं का विवरण, जहां अपेक्षित हो;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(v) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

COURT BOOK

उनके अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए, उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा ।

72. समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी -- (1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिनके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी, राज्य कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी भी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वियन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे ऐसी सहायता करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

अध्याय 15
मांग और वसूली

73. असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन करके या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण -- (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने हैं या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे ।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली कर अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व कर की रकम का धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ, अपने स्वयं के ऐसे कर के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित कर के आधार पर संदाय कर सकेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति की बाबत, तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का, कारण बताओ सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर, संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के बराबर रकम या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति का अवधारण करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या गलत इनपुट कर प्रत्यय लिया गया था या उसका गलत उपयोग किया गया था, तीन वर्ष के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जारी करेगा।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वनिर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

74. असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन करके या छिपाकर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण-- (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर उसका उपयोग किया गया है तो वह उस कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह मास पूर्व, जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न अवधियों के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न अवधियों के लिए उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार वही हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सिवाय कपट के या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आधार के।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व कर की रकम का उस पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ और कर के स्वःअभिनिश्चय निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय कर सकेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार संदत्त किसी कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पांच वर्ष के भीतर, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, कर की रकम का धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 -- इस धारा और धारा 73 के प्रयोजनों के लिए, --

(i) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है [1][तो धारा 122, और धारा 125 के] अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2 -- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना अभिप्रेत होगा, जिसकी किसी कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता भी अभिप्रेत होगी ।

75. कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध -- (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां किसी अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन करना या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है जिसको सूचना जारी की गई थी, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि सूचना धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी ।

(3) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा ।

(4) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय अनुध्यात है ।

(5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगाः

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

(6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों और आधारों को अधिकथित करेगा ।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी ।

(8) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है, वहां ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी ।

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा, चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को तब पूरा हुआ समझा जाएगा, यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय दिया गया है, जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकरण और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की अवधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं ।

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 113 द्वारा (तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के) शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वनिर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी वसूली धारा 79 के उपबंधों के अधीन की जाएगी ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''स्वनिर्धारित कर'' पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी जावक पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।]

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां उसी कारण या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

76. संगृहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर -- (1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात पर ध्यान न देते हुए कि वे पूर्तियां जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रहण किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, वहां समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को कारण बताने की अपेक्षा करते हुए इस प्रभाव की सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम का उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा रकम का संग्रहण करने की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा ।

(5) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको कारण बताओ सूचना जारी की गई थी, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को एक वर्ष की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा ।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत तथ्यों और आधार को अधिकथित करेगा ।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्तियों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के प्रति समायोजन किया जाएगा ।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई अधिशेष बचता है तो ऐसे अधिशेष की रकम को या तो निधि में जमा किया जाएगा या उसका उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है ।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

77. गलती से संगृहीत किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर -- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा राज्य के भीतर पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चातवर्ती रूप से अंतर्राज्यीय पूर्ति अभिनिर्धारित किया जाता है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतर्राज्यीय पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चातवर्ती रूप से राज्य के भीतर पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से, संदेय केंद्रीय कर और राज्य कर या यथास्थिति, केंद्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

78. वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना -- इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगीः

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 113 द्वारा अंत:स्थापित ।

परंतु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तीन मास से कम अवधि के भीतर, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

COURT BOOK

79. कर की वसूली -- (1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है, वहां समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्: --

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को संदेय किसी ऐसी रकम से इस प्रकार देय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है;

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार देय रकम की ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली ऐसी वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा;

(ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चातवर्ती रूप से धन धारण कर सकेगा, सरकार को धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व का नहीं होगा, उतने धन का, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशिष्टतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है वहां किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या समान दस्तावेज को तत्प्रतिकूल किसी नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी संदाय किए जाने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;

(iii) कोई व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम भुगतने होंगे;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा;

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में संदाय करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय किया है और ऐसे संदाय को सरकार के पास जमा किए जाने पर ऐसे व्यक्ति की, व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति दायित्व का, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक उत्तम और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति, निर्वहन किए गए दायित्व की सीमा तक या कर, ब्याज और शास्ति, के लिए व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक सरकार के प्रति दायी होगा;

(vii) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या यह कि वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण नहीं कर रहा था और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे धारण किए जाने की संभावना है, वहां इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से जिस पर ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए सूचना की तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(घ) समुचित अधिकारी, इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत, ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करवा सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगमों से संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत शेष असंदत्त विक्रय की लागत भी है और आधिक्य रकम, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह

निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया थी;

COURT BOOK

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी, समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे कार्यवाही करेगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना था ।

(2) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र या लिखत के निबंधन यह उपबंध करते हैं कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा वहां वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है वहां राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के अनुक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह राज्य कर की बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम को सरकार के खाते में जमा करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है वहां संबंधित सरकारों के खाते में रकम को, प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में जमा किया जाएगा ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, धारा 25 की, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट "विशिष्ट व्यक्ति" सम्मिलित होंगे ।]

80. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय -- किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम का संदाय, धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने को अनुज्ञात कर सकेगाः

परंतु जहां किसी अंतिम तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है वहां उस तारीख को संदेय संपूर्ण बकाया अतिशेष शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना को ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली के लिए दायी होगा ।

81. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना -- जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात्, उससे संबंधित या उसके कब्जे में की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उसका विक्रय करके बंधक रखकर, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, अपनी किसी संपत्ति से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगाः

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा, यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की किसी सूचना के बिना या उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय ऐसे अन्य कर या अन्य रकम की सूचना के बिना कर या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है ।

82. कर का संपत्ति पर प्रथम प्रभार होना -- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय किसी रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगा ।

83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की – [2][(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।
[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 115 द्वारा प्रतिस्थापित ।

करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा ।]

COURT BOOK

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा ।

84. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण -- जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, तब, --

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है वहां आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग की सूचना के अंतर्गत आती हैं, किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी;

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है वहां --

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रह सकेंगी।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व -- (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः, विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति में चाहे जो भी हो, अंतरण करता है वहां कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्तः, पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक, कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण के समय तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया है, किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के संदाय के लिए दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है, वहां वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो वह विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करेगा ।

86. अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व -- जहां कोई अभिकर्ता, अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की पूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है वहां ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

87. कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व -- (1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और ऐसा आदेश, आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को आदेश के प्रभावी होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश की तारीख के बीच माल की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति की है या माल को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसी पूर्ति और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के पूर्ति या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वे तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होंगी ।

(2) उक्त ओदश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा ।

88. समापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व -- (1) जब किसी कंपनी का किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा परिसमापन किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह समापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, समापक को वह रकम अधिसूचित करेगा, जो उसके मत में किसी ऐसे कर, ब्याज या शास्ति को, जो तब कंपनी द्वारा संदेय है या जिसके तत्पश्चात् संदेय हो जाने की संभावना है, चुकाने के लिए पर्याप्त है।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को परिसमाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे समापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, तब प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, सिवाय तब के जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

89. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व -- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय तब के जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान माल है या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है, वहां उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक थाः

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी।

90. फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व -- तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा और किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है वहां फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगाः

परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, वहां वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का, चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, संदाय करने का दायी होगाः

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।

91. संरक्षकों, न्यासियों, आदि का दायित्व -- जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, किसी अल्पवय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पवय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है, वहां ऐसे संरक्षक या न्यासी या संरक्षक से कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्गृहीत की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पवय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता है और वसूली की जाती, यदि वह वयस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

92. प्रतिपाल्य न्यायालय, आदि का दायित्व -- जहां किसी कराधेय व्यक्ति की कोई ऐसी संपदा या उसका कोई भाग जिसके स्वामित्वाधीन कोई ऐसा कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, किसी ऐसे प्रतिपाल्य न्यायालय, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, भी है जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, वहां कर, ब्याज या शास्ति ऐसे प्रतिपाल्य न्यायालय पर महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, प्रापक पर उद्गृहीत की जाएगी और उससे ऐसी रीति में और उस सीमा तक वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली की जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

93. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध मे विशेष उपबंध -- (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब, --

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को, चाहे उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा में से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर, ब्याज या शास्ति को चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो, किंतु जो उसकी मुत्यु के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है।

(2) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है, वहां प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या उसे बंटवारे के पश्चात् अवधारित किया गया है।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, एक फर्म है और फर्म का विघटन कर दिया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या उसे विघटन के पश्चात् अवधारित किया गया है।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी कोई काराधेय व्यक्ति, --

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, वहां प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन के समय तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण, अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है, किंतु जो असंदत्त रह गया है या उसे तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

94. अन्य मामलों में दायित्व -- (1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है, --

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को बंद किया ही न गया हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद किए जाने के होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उसे बंद किए जाने से पूर्व अधिरोपित किया गया है या बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह स्वयं कराधेय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है वहां फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान था और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या संगम से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, या जहां कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, ने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, वहां उस उपधारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का तदनुसार ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण -- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए --

(i) "सीमित दायित्व भागीदारी", जिसे सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा;

(ii) "न्यायालय" से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

95. परिभाषाएं -- इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी प्राधिकरण या [1][अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या [1][धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग] में मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकरण" से धारा 99 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "आवेदन" से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 96 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है।

[2][(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ।'।]

96. अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण -- इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या किसी संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण समझा जाएगा।

97. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन -- (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन कर सकेगा।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा --

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण;

(घ) संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की ग्राह्यता;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों पर कर के संदाय के दायित्व का अवधारण;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई किसी विशिष्ट बात का अर्थ या परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में होता है ।

98. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया -- (1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगाः

परंतु जहां किसी मामले में प्राधिकरण द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है वहां ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र उक्त संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(2) प्राधिकरण, आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देगाः

परंतु प्राधिकरण वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा, जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका हैः

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को, आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगाः

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 104 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 104 के द्वारा अंत:स्थापित ।

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है, वहां प्राधिकरण ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या जो प्राधिकरण द्वारा अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी ।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मत का अंतर रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह मत का अंतर रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को प्रतिनिर्देश करेंगे ।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अपने अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा ।

(7) उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

99. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण -- इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर के उपबंधों के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अपील प्राधिकरण समझा जाएगा ।

100. अपील प्राधिकरण को अपील -- (1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगीः

परंतु यदि अपील प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

101. अपील प्राधिकरण के आदेश -- (1) अपील प्राधिकरण अपील या प्रतिनिर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने या उसे उपांतरित करने के लिए उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिनिर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या प्रतिनिर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मत का अंतर रखते हैं वहां यह समझा जाएगा कि अपील या प्रतिनिर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है ।

(4) उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

[1][**101क. राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन –** (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 101ख के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(i) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश है या रहा है;

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 105 के द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र), जो भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) सेवा, समूह क का सदस्य है या रहा है और जिसने समूह क में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;]

COURT BOOK

(iii) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जो राज्य सरकार के मूल्यवर्धित कर अपर आयुक्त या राज्य कर अपर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है और जिसे किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है ।

(3) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु अध्यक्ष के पद की, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति की दशा में, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है :

परंतु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम् सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसको अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है ।''।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ।

(7) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्तों में या उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जाएगा ।

(8) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुन:नियुक्ति का पात्र होगा ।

(9) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुन:नियुक्ति का भी पात्र होगा ।

(10) अध्यक्ष या कोई सदस्य, सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा ।

(11) सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी, --

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें ऐसी सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसे दुरूपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

COURT BOOK

(12) उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को, सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(13) सरकार, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या तकनीकी सदस्यों को, जिसकी बाबत उपधारा (12) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पद से निलंबित कर सकेगी ।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, पद पर न रहने पर, उस राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के समक्ष, जहां वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

101ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील – (1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या कोई आवेदक, जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण –शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, यथास्थिति, तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, उसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।''।

101ग. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश – (1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केन्द्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा ।]

COURT BOOK

102. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि -- प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण, [1][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] [2][क्रमशः,धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग] के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकेगा, ताकि अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली किसी त्रुटि को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी त्रुटि प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [1][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है:

परंतु ऐसी किसी परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने, अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की रकम को कम करने के रूप में होता है, को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक [2][अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण] को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

103. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना -- (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा, --

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

[3][(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा –

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका (आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया) वही स्थायी खाता संख्यांक है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया वही स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।'']

(2) उपधारा (1) [3][और उपधारा (1क)] में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय तब तक बाध्यकर होगा जब तक कि मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्यों या परिस्थितियों में परिवर्तन न हो गया हो।

104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना -- (1) जहां [4][प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन [5][या धारा 101ग के अधीन] उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्त्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं गया था:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण -- धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

105. [6][प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां] -- (1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [7][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, --

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

---

[1] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 106 के द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 106 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 107 के द्वारा अंतःस्थापित।
[4] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 108 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 108 के द्वारा अंतःस्थापित।
[6] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 109 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[7] 2019 के अधिनियम सं॰ 23 की धारा 109 के द्वारा अंतःस्थापित।

(ग) कमीशन जारी करने और लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने।

COURT BOOK

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण, [1][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

106. [2][प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया] -- प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [3][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. अपील प्राधिकारी को अपीलें -- (1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से, जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर किया जाए।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधनिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए, जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं और जो आयुक्त द्वारा उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को अपील प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता ने --

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत होने वाले किसी कर, ब्याज, जुर्माने, फीस और शास्ति का पूर्ण या उसके ऐसे भाग का संदाय न कर दिया हो जिसे उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में कर की बकाया रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का [4][अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए] संदाय न कर दिया हो।

[5][परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।]

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 109 के द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 110 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 110 के द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।
[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 116 द्वारा अंत:स्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है तो वह पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय मंजूर कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा:

परंतु यह कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को ऐसा कोई स्थगन तीन से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को उस समय अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश करेगा, जो वह उचित और उपयुक्त समझे, किन्तु वह उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला वापस निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था:

परन्तु अधिहरण या अधिक मूल्य के माल के अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माने को बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय को घटाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकारी की यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से उसका प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ सूचना न दे दी गई हो और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(12) अपील का निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन होगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील की उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और उसका विनिश्चय करेगा:

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि, एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति, अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और राज्य कर अधिकारिता वाले आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

108. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां -- (1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसे प्राप्त सूचना के आधार पर या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा, और यदि वह यह समझता है कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित कोई विनिश्चय या आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध हैं या नहीं या वह भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए संप्रेक्षण के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण है, तो वह, यदि आवश्यक हो तो, ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे, जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि --

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय का अवसान हो गया है; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया गया हैः

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चातवर्ती हो, उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा, जो उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अपील में उठाया नहीं गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है, जिस पर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, तो अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि को वहां उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित किया जाएगा, जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, वहां ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि को परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद, --

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित उपलब्ध सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई संसूचना सम्मिलित होगी ।

109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन -- (1) सरकार, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, माल और सेवा कर अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण का गठन करेगी ।

(2) अपील अधिकरण की शक्तियां राष्ट्रीय न्यायपीठ और उसकी न्यायपीठों (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् "प्रादेशिक न्यायपीठें" कहा गया है), राज्य न्यायपीठ और उसकी न्यायपीठों (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् "क्षेत्रीय न्यायपीठें" कहा गया है) द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी ।

(3) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ नई दिल्ली में स्थित होगी, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और वह एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी ।

(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में प्रादेशिक न्यायपीठों, जितनी अपेक्षित हों, का गठन करेगी और ऐसी प्रादेशिक न्यायपीठें एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी ।

(5) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यापीठें उन मामलों में जहां अन्तर्वलित मुद्दों में एक पूर्ति के स्थान से संबंधित है, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के संबंध में अधिकारिता रखेंगी ।

(6) सरकार, अधिसूचना द्वारा [1][*******] प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपील अधिकरण की न्यायपीठ (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "राज्य न्यायपीठ" कहा गया है) विनिर्दिष्ट करेगीः

[2]* * * * * * * * * * * * *

परंतु यह और कि];

[1][परंतु] सरकार किसी राज्य सरकार से आवेदन की प्राप्ति पर उस राज्य में उतनी संख्या में क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन करेगी जितनी की सिफारिश परिषद् द्वारा की जाए :

---

[1] 2020 के अधिनियम सं॰ 12 की धारा 125 के द्वारा "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 2020 के अधिनियम सं॰ 12 की धारा 125 के द्वारा "परंतुक" का लोप किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][परन्तु यह भी कि] सरकार किसी राज्य से आवेदन की प्राप्ति पर या किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए स्वप्रेरणा से किसी राज्य के अपील अधिकरण को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए कार्य करने हेतु, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित कर सकेगी ।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट विषयों को अन्तर्वलित करने वाले मामलों से भिन्न मामलों में अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ को होगी ।

(8) अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी राज्य में, यथास्थिति, प्रादेशिक न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के बीच कारबार या मामलों का वितरण करेंगे ।

(9) अपील अधिकरण की प्रत्येक राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठें, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेंगी और राज्य सरकार किसी राज्य में ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य को राज्य अध्यक्ष के रूप में अभिहित कर सकेगी ।

(10) रिक्ति या अन्यथा के कारण किसी न्यायपीठ में किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अपील दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा सुनी जा सकेगीः

परन्तु जहां अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माने, फीस या शास्ति की रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाएं, अपील की सुनवाई एक सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जा सकेगी ।

(11) यदि राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठ, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के सदस्य किन्हीं बिन्दु या बिन्दुओं पर राय में भिन्नता रखते हैं तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, यदि बहुमत हो, किन्तु यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं तो वे उन बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनका मत भिन्न है और मामला राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठ, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के एक या अधिक सदस्यों को, ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे सदस्य सम्मिलित हैं जिन्होंने उसे सबसे पहले सुना था ।

(12) सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रशासनिक सुविधा के लिए निम्नलिखित का स्थानांतरण कर सकेगी,--

(क) किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) का, एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में चाहे राष्ट्रीय या प्रादेशिक हो; या

(ख) किसी तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) का, एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में चाहे राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य या क्षेत्रीय हो ।

(13) राज्य सरकार, राज्य अध्यक्ष के परामर्श से प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य के भीतर किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगी ।

(14) अपील अधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाहियां अपील अधिकरण के गठन में मात्र किसी त्रुटि या रिक्ति के विद्यमान रहने के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं मानी जाएंगी ।

110. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आदि -- (1) कोई व्यक्ति, --

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो या कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(ख) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह, --

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या

(ii) ऐसा जिला न्यायाधीश हो या रहा हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है; या

(iii) भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो या रहा हो और उसने अपर सचिव का पद कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण किया हो;

[1] 2017 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क) सेवा समूह 'क' का सदस्य हो या रहा हो और उसने समूह 'क' में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(घ) तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित होगा जब वह राज्य सरकार का मूल्य वर्धित कर या राज्य माल और सेवा कर के कम से कम अपर आयुक्त की रैंक का हो या रहा हो या ऐसी रैंक का हो या रहा हो जो परिषद् की सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और उसके पास किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में कम से तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो ।

(2) राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगेः

परंतु अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से कोई रिक्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पीठ का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नए अध्यक्ष की नियुक्ति न कर दी जाए और वह कार्यभार ग्रहण न कर लेः

परंतु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां राष्ट्रीय पीठ का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा, जब तक अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(3) सरकार, राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य) की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेगी ।

(4) राज्य सरकार, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती के साथ परामर्श के पश्चात् करेगी ।

(5) राज्य न्यायापीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (राज्य) राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किए जाएंगे जो विहित की जाए ।

(6) अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या इसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(7) किसी व्यक्ति की अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिसके कारण अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(8) अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं:

परंतु अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों और न ही सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे ।

(9) अपील अधिकरण का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(10) अपील अधिकरण का न्यायिक सदस्य और राज्य अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(11) अपील अधिकरण का तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा ।

(12) अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षरयुक्त लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगाः

परंतु अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या कोई सदस्य, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि का अवसान होने तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वत्तम हो, पद धारण करता रहेगा ।

(13) राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों या राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्यों (केन्द्रीय) की दशा में केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् और राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के राज्य अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (राज्य) की दशा में राज्य सरकार राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी, --

COURT BOOK

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें ऐसी सरकार के मत में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे ऐसे अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभावों के पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगाः

परंतु अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या सदस्य को, खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

(14) उपधारा (13) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना --

(क) राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष या न्यायिक और तकनीकी सदस्य, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) को, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को किए गए प्रतिनिर्देश पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात्, दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर जिसके संबंध में अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुने जाने का अवसर दिया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा;

(ख) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) को राज्य सरकार द्वारा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को किए गए प्रतिनिर्देश पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच के पश्चात्, जिसके संबंध में अध्यक्ष या उक्त सदस्य को सुने जाने का अवसर दिया गया हो दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने के आधार पर अध्यक्ष या उक्त आदेश द्वारा जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाएगा ।

(15) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के अध्यक्ष या किसी ऐसे न्यायिक या तकनीकी सदस्य या राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) के संबंध में, जिसके लिए उपधारा (14) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिनिर्देश किया गया है, पद से निलंबित कर सकेगी ।

(16) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी ऐसे न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य जिसके संबंध में उपधारा (14) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिनिर्देश किया गया है, पद से निलंबित कर सकेगी ।

(17) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष या अन्य सदस्य, उनके द्वारा पद धारण करना छोड़ने पर राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों या राज्य न्यायपीठ और उनकी क्षेत्रीय न्यायपीठों, जहां वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य था, के समक्ष उपस्थित होने, कार्य या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

111. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया -- (1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) अपील अधिकरण के पास वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्: --

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) व्यतिक्रम के लिए किसी प्रतिवेदन को खारिज करना या एकपक्षीय रूप से उसका विनिश्चय करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए किसी प्रतिवेदन को खारिज करने के आदेश या उसके द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में प्रवर्तित किया जा सकेगा जैसे कि वह न्यायालय द्वारा, उसके पास लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और अपील अधिकरण के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अपने आदेशों को निम्नलिखित मामलों में निष्पादन के लिए ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को भेजे --

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापार करता है या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

112. अपील अधिकरण को अपीलें -- (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या अंतर्वलित कर अथवा इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने या शास्ति की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।

(3) आयुक्त इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त, राज्य कर या आयुक्त, संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी, अपील अधिकरण को आवेदन करता है, वहां अपील अधिकरण द्वारा उस आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध कोई अपील हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपीलों के संबंध में लागू होते हैं ।

(5) इस सूचना की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन कोई अपील की गई है, ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील की गई है, इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, सूचना की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर आदेश, जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, के संबंध में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील हो ।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर कोई अपील ग्रहण कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ज्ञापन को उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था ।

(7) अपील अधिकरण को की जाने वाली अपील ऐसे प्ररूप में, उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित होगी, जो विहित की जाए ।

(8) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित का संदाय न कर दे, --

(क) आक्षेपित आदेश से उद्‌भूत होने वाले कर, ब्याज, जुर्माने, फीस और शास्ति की रकम के ऐसे भाग का पूर्णरूप से जो उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत होने वाले विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि [1][अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए ।]

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(9) जहां अपीलार्थी ने उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर दी है वहां बकाया रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटारे तक रोकी हुई समझी जाएंगी।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष --

(क) किसी अपील में त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस के साथ होगा जो विहित किया जाए ।

113. अपील अधिकरण के आदेश -- (1) अपील अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का पुष्टिकरण, उसमें उपांतरण या उसका बातिलीकरण करते हुए, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे या अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को ऐसे निदेशों, जिनको वह ठीक समझे, के साथ यदि आवश्यक हो, नए न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् विनिश्चय के लिए वापस निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) अपील प्राधिकरण, यदि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाते हैं तो किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, इस संबंध में कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों या उनमें से किसी को समय मंजूर या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परंतु इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं मंजूर किया जाएगा ।

(3) अपील अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को उस समय संषोधित कर सकेगा यदि ऐसी कोई त्रुटि स्वयं उसकी सूचना में आ जाती है या आयुक्त या राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या अपील के किसी अन्य पक्षकार द्वारा आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके सूचनार्थ लाई जाती हैः

परंतु ऐसा कोई संशोधन जिसका प्रभाव किसी निर्धारण में वृद्धि या प्रतिदाय अथवा इनपुट कर प्रत्यय में कमी करने वाला है या किसी अन्य पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने वाला है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए ।

(4) अपील अधिकरण, यथासंभव रूप से, अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक अपील को सुनेगा और उसका विनिश्चय करेगा ।

(5) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त को भेजेगा ।

(6) धारा 117 या धारा 118 में यथाउपबंधित के सिवाय, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे ।

114. अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां -- अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायपीठ और अपील अधिकरण की प्रादेशिक न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं:

परंतु अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे किसी अन्य सदस्य या राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों के किसी अधिकारी को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा, प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा ।

115. अपील को ग्रहण करने के लिए संदत्त रकम के प्रतिदाय पर ब्याज -- जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) या धारा 112 की उपधारा (8) के अधीन संदत्त रकम का, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, वहां धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज ऐसे प्रतिदाय के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसी रकम के प्रतिदाय की तारीख तक संदेय होगा ।

116. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी -- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

अपेक्षित है, अन्यथा तब के जब उससे इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, तो वह प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा ।

COURT BOOK

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकृत प्रतिनिधि" पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है और जो --

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता है, जो भारत में किसी न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष व्यवसाय करने से वर्जित नहीं किया गया है; या

(ग) कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, जो व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र धारण करता है और जिसे व्यवसाय करने से वर्जित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी है, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की होः

परंतु ऐसा कोई अधिकारी, अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार नहीं होगा; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) कोई व्यक्ति --

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त किया या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या किसी विद्यमान विधि या माल के विक्रय या माल या सेवाओं की पूर्ति या दोनों पर कर के अधिरोपण से संबंधित राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा कदाचार का दोषी पाया गया हो; या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो, --

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्हित है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्हित समझा जाएगा ।

117. उच्च न्यायालय को अपील -- (1) राज्य न्यायपीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको व्यथित व्यक्ति को अपीलगत आदेश प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित होगी, जो विहित की जाए:

परंतु उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का पर्याप्त कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विरचित करेगा और केवल इस प्रकार विरचित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई के दौरान इस बात पर बहस करने की अनुमति होगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं हैः

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनावाई करने की शक्ति को समाप्त करने या उसका अल्पीकरण करने वाली है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे का अवधारण कर सकेगा, जिसे --

(क) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अवधारित किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई है, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या उनके बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित सभी न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में निर्णय देता है वहां ऐसे निर्णय को, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी भी पक्ष द्वारा प्रभावी किया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जो उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपीलों के संबंध में, जहां तक संभव हो, लागू होंगे ।

118. उच्चतम न्यायालय को अपील -- (1) उच्चतम न्यायालय में, --

(क) राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रादेशिक न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाएगी; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाएगी, जो उसके स्वयं के विवेक पर या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त किए गए आवेदन पर, निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद की जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए वह एक उचित मामला है ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपीलों के मामलों में लागू होते हैं ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट दिया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को उस रीति में प्रभावी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित है ।

119. अपील, आदि के होते हुए भी संदत्त की जाने वाली राशियां -- इस बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, यथास्थिति, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रादेशिक न्यायपीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठों या क्षेत्रीय न्यायपीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय होगी ।

120. कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना -- (1) बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, समय-समय पर आदेशों या अनुदेशों या निदेशों को जारी करके, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन केंद्रीय कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के विनियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी धनीय सीमाओं को नियत कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर के अधिकारी ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया है, वहां यह केंद्रीय कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा ।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति, जो अपील में या आवेदन में पक्षकार है, यह दलील नहीं देगा कि किसी अपील या आवेदन को फाइल न करके केंद्रीय कर का अधिकारी विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय से उपमत हुआ है ।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

121. अपील न किए जा सकने वाले विनिश्चय और आदेश -- इस अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि इस प्रकार लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है, अर्थात: --

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को अंतरित करने का निदेश देने में सशक्त हो; या

(ख) लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश ।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति -- (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो --

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसी किसी पूर्ति के लिए गलत या मिथ्या बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण कर उसका सरकार को उस तारीख से जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे संदाय करने में असफल रहता है;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर का संग्रहण करता है किंतु उस तारीख से, जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे की अवधि में संदाय करने में असफल रहता है;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में कटौती की गई रकम का संदाय करने में असफल रहता है;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर के संग्रहण में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन संग्रहण की अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में संगृहीत रकम का संदाय करने में असफल रहता है;

(vii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कपटपूर्ण तरीके से कर का प्रतिदाय प्राप्त करता है;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;

(x) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर का अपवंचन करने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को झुठलाता है या बदलता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों को या किसी झूठी सूचना या विवरणी को प्रस्तुत करता है;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों के संबंध में गलत सूचना देता है;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को बाधित करता है या रोकता है;

(xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के कवर के बिना किन्हीं कराधेय मालों का परिवहन करता है;

(xv) अपने आवर्त को छिपाता है जिसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन होता है;

(xvi) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों को तैयार करने, बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है;

(xvii) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है;

COURT BOOK

(xviii) ऐसे किसी माल की पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(xix) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग करके किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है;

(xx) किसी सारवान् साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या उसे नष्ट करता है;

(xxi) किसी ऐसे माल का व्ययन करता है या उससे छेड़छाड़ करता है जिसे इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध, जब्त या कुर्क किया गया है,

तो वह दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संगृहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या आगे किसी को दिए गए या कपटपूर्ण ढंग से दावा किए गए प्रतिदाय, इनमें जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा ।

[1][(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले किसी संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करेगा और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाएगा, अपवंचित कर या उपभोग या संक्रांत किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा ।''।]

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है, जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से उसका प्रतिदाय लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या प्रयोग किया है, --

(क) कपट के कारण से भिन्न किसी कारण से या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) कपट के उद्देश्य से या किए गए किसी मिथ्या कथन के कारण से या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत की शास्ति के लिए, जो भी उच्चतर हो, दायी होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो --

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन, उसे हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, उनकी पूर्ति करने या विक्रय करने से या किसी अन्य रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या उसकी पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा की कोई पूर्ति करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु समन के जारी होने पर केन्द्रीय कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक के लिए हिसाब देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी ।

123. सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति -- यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 150 के अधीन कोई सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस विवरणी को देने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, एक सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगाः

परंतु इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

124. आंकड़े देने में असफल रहने पर जुर्माना -- यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है, --

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण के असफल रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझकर प्रस्तुत करता है या करवाता है,

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 126 के द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिए पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

125. साधारण शास्ति -- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी उपबंध, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

126. शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन -- (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, कर विनियमों या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के लघु भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में किसी ऐसे लोप या गलती, जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा जो कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए --

(क) यदि किसी भंग में पांच हजार रुपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह "छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी यदि वह अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति प्रत्येक मामले के तथ्यों पर और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की डिग्री और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(3) किसी व्यक्ति पर उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के लिए किसी आदेश द्वारा शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट की गई है।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है, तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य को न्यूनकारी घटक के रूप में विचार में ले सकेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई है।

127. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति -- जहां समुचित अधिकारी का मत यह है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अंतर्गत नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने वाला आदेश जारी कर सकेगा।

128. शास्ति या शुल्क या दोनों का अधित्यजन करने की शक्ति -- सरकार, अधिसूचना द्वारा करदाताओं के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का आंशिक रूप में या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी।

129. माल का निरोध, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में वाहन -- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में हैं, वहां सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसा माल तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज निरुद्ध किए जाने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा ऐसे निरोध या अभिग्रहण के पश्चात --

[1][(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;]

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर निर्मुक्त किया जाएगाः

COURT BOOK

परंतु ऐसे किसी माल या वाहन का, परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश की तामील किए बिना निरुद्ध या अभिग्रहण नहीं किया जाएगा ।

[1]* * * * * * * *

[2][(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, अभिरक्षा या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा ।]

(4) संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपधारा (3) के अधीन [3][शास्ति] अवधारित नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

[4][(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या उसका अन्यथा निपटान किया जा सकेगा :

परन्तु परिवाहक द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय बीतने के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा ,कम की जा सकेगी ।]

130. माल या वाहन की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण -- (1) [5][जहां] --

(i) कर संदाय के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में माल की पूर्ति या उसे प्राप्त करता है; या

(ii) किसी ऐसे माल का हिसाब नहीं देता है जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल की पूर्ति करता है; या

(iv) कर संदाय के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(v) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल के परिवहन के लिए किसी वाहन का प्रयोग करता है, जब तक कि वाहन का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके अभिकर्ता की बिना जानकारी या मौन सहमति के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या वाहन जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) जब कभी किसी माल या वाहन की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, तब उसका न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्ती के स्थान पर ऐसा जुर्माना, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प देगाः

परंतु ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल पर प्रभारित कर की रकम को घटाने के पश्चात्, प्राप्त हुए उसके बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगाः

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति [1][ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति] से कम नहीं होगाः

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 117 द्वारा "उपधारा 2" लोप किया गया ।
[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 117 द्वारा "कर, ब्याज या शास्ति" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 118 द्वारा "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति" प्रतिस्थापित ।

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है वहां ऐसे वाहन के मालिक को वाहन की जब्ती के स्थान पर उसमें ढोए गए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प दिया जाएगा।

[2]* * * * * * * *

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) माल या वाहन की जब्ती या शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या वाहन को जब्त कर लिया जाता है वहां ऐसे माल या वाहन का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा।

(6) जब्ती का न्यायनिर्णयन करने वाला समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और उन्हें धारित करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अध्यपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसकी सहायता करेगा।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जब्त माल या वाहन इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के बदले जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक का युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या वाहन का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय आगमों को सरकार के पास जमा करेगा।

131. जब्ती या शास्ति का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना -- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड, जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड के अधिरोपण से प्रविरत नहीं करेगा।

132. कतिपय अपराधों के लिए दंड – [3][(1) जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा] अर्थात: --

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना, किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, कर अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति किए बिना बीजक या बिल जारी करता है जिसके परिणामस्वरूप इनपुट कर प्रत्यय का त्रुटिपूर्ण फायदा या उपयोग होता है या कर का त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय होता है;

[1][(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;'']

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसका उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;

(ङ) कर का अपवंचन करता है, [4][*****] या कपट से प्रतिदाय प्राप्त करता है और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झुठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाध डालता है या उसे रोकता है;

(ज) किसी माल, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम के तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या उसके परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, उसे हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, उसकी पूर्ति करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में उसका व्यौहार करता है;

(झ) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसकी पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में ऐसी सेवा की पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह यह जानते हुए करता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

(ञ) किसी सारवान् साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

---

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 118 के द्वारा "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 118 के द्वारा "उपधारा (3)" लोप किया गया।
[3] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 127 के द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 127 के द्वारा लोप किया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम में या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है (जब तक कि उसके पास युक्तियुक्त विश्वास न हो, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है) या वह कोई झूठी सूचना देता है; या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

तो वह --

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (i) खंड (ii) और खंड (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास, विशेष और उचित तत्प्रतिकूल कारणों से, जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किया जाए, की अनुपस्थिति में, छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, असंज्ञेय और जमानतीय होंगे।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजन के लिए "कर" पद में अपवंचित कर की रकम या गलत तरीके से प्राप्त या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत तरीके से ली गई रकम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर सम्मिलित है।

133. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व -- (1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन आंकड़ों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच रखने वाला केन्द्रीय कर का कोई अधिकारी या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता स्वैच्छिक रूप से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत किसी विवरणी के अंश या अंतर्वस्तु को उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के सिवाय प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति,--

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जाएगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जाएगा।

134. अपराधों का संज्ञान -- न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।

135. आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान -- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, जिसके लिए आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता का अनुमान लगाएगा लेकिन

अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करना एक प्रतिरक्षा होगी कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत वैसी मानसिक स्थिति नहीं रखता था ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजन के लिए,--

(i) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने के कारण का तथ्य सम्मिलित है;

(ii) किसी तथ्य को सिद्ध किया हुआ तथ्य केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय उस पर बिना युक्तियुक्त संदेह के विश्वास करता है और जब इसकी विद्यमानता संभावना की अधिकता द्वारा स्थापित है ।

136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता -- इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी समन के प्रत्युत्तर में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में तथ्य की सत्यता सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट है --

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मृत है या वह नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या जिसकी हाजिरी विरोधी पक्ष द्वारा किसी तरीके से रोकी गई है या जिसको ऐसी देरी के बिना हाजिर नहीं किया जा सकता है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अयुक्तियुक्त मानता है; या

(ख) जब किसी व्यक्ति की जिसने कथन किया है न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में परीक्षा की जाती है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

137. कंपनियों द्वारा अपराध -- (1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी का भारसाधक और उस कंपनी के कारबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कराधेय व्यक्ति, जो कोई भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई न्यास है, के द्वारा किया जाता है, वहां भागीदार या कर्ता या प्रबंधक, न्यासी को उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे और ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने, ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, --

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

138. अपराधों का शमन -- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या तो अभियोजन के संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी शमन रकम के ऐसी रीति में संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा शमन किया जाएगाः

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी --

(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध और खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों, जो उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित हैं, के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया था;

(ख) किसी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पूर्तियों के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन, खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार शमन के लिए अनुज्ञात किया गया था;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) किसी व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है;

(घ) किसी व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है;

(ङ) किसी व्यक्ति, जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करने के लिए आरोप लगाया गया है; और

(च) व्यक्तियों या अपराधों के किसी अन्य वर्ग, जो विहित किया जाए :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात कोई शमन किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाइयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालेगा :

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् शमन अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के शमन के लिए रकम, न्यूनतम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो, विहित की जा सकेगी।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसी शमन रकम के संदाय पर समान अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित है, तो वह समाप्त हो जाएगी।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

139. विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन -- (1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, अनंतिम आधार पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, तब रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रदान किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण, ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में रद्द कर दिया जाता है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

140. इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं -- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने वाले से भिन्न है, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत करने के लिए नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में विवरणी में अग्रनीत [1][पात्र शुल्कों के] विद्यमान सेनवेट प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, [2][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए] हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात्: --

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां उसने नियत दिन के तुरंत पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी हों; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट की अधिसूचनाओं के अधीन विनिर्मित और निकासी किए गए मालों से संबंधित है।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय की रकम अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की गई है, और जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन [2][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए] नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए है:

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।
[2] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 128 के द्वारा प्रतिस्थापित।

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तब तक प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक कि उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन सेनवेट प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं था और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय नहीं है।

COURT BOOK

स्पष्टीकरण -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय" पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि कराधेय व्यक्ति द्वारा विद्यमान विधि के अधीन पूंजी माल के संबंध में पहले से प्राप्त की गई सेनवेट प्रत्यय की रकम को उस सेनवेट प्रत्यय की रकम में से घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो छूट-प्राप्त मालों के विनिर्माण में लगा था या जो छूट-प्राप्त सेवाओं के उपबंधों या जो संकर्म संविदा सेवाओं को उपलब्ध करता रहा था और जो अधिसूचना संख्यांक 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 के फायदे प्राप्त कर रहा था या जो किसी रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता या किसी विनिर्माता के डिपो का कोई प्रथम प्रक्रम का व्यौहारी या कोई द्वितीय प्रक्रम का व्यौहारी था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए [2][नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्टॉक में धारित] इनपुटों और अर्ध-निर्मित माल या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में पात्र-शुल्कों का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में लेने का हकदार होगा, अर्थात्: --

(i) ऐसे इनपुटों या मालों का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्तिकर्ता के लिए किया जाता है या किया जाना आशयित है;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन शुल्क के संदाय के साक्ष्यस्वरूप अन्य विहित दस्तावेज रखता है;

(iv) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे;

(v) सेवाओं का पूर्तिकार इस अधिनियम के अधीन किसी उपशमन का पात्र नहीं है:

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के पूर्तिकार से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो शुल्क के संदाय के संबंध में शुल्क के संदाय के साक्ष्यस्वरूप कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में नहीं रखता है वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जिनके अंतर्गत यह शर्त भी है कि उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसे प्रत्यय के लाभ के प्राप्तिकर्ता के लिए कीमत की कमी के द्वारा आगे अंतरित करेगा, ऐसा प्रत्यय ऐसी रीति में और ऐसी दर पर जो विहित की जाए, प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन छूट-प्राप्त मालों के साथ-साथ कराधेय मालों के विनिर्माण या वित्त अधिनियम, 1994 (1944 का 32) के अध्याय 5 के अधीन छूट-प्राप्त सेवाओं के साथ-साथ कराधेय सेवाओं के उपबंधों में लगा है किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी हो, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में निम्नलिखित की रकम को लेने का हकदार होगा, --

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट-प्राप्त मालों और सेवाओं के संबंध में नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में पात्र शुल्क के सेनवेट प्रत्यय।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क या कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का पात्र होगा, किंतु जिसके संबंध में शुल्क या कर [1][विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा] संदत्त किया गया था, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में बीजक या कोई अन्य शुल्क या संदाय का दस्तावेज अभिलिखित था:

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर आयुक्त द्वारा तीस दिन की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी:

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन लिए गए प्रत्यय के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था या विद्यमान विधि के अधीन संदेय कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए [1][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 128 के द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

की जाए नियत दिन को उसके स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल के इनपुट के संबंध में उपयुक्त शुल्क के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा करने का] हकदार होगा, अर्थात्: --

(i) ऐसे इनपुटों या माल का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है या किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय नहीं कर रहा है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन शुल्क के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत दिन के तुरंत पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियत दिन से पूर्व प्राप्त किन्हीं सेवाओं के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय, [1][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय के रूप में] वितरित किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं।

(8) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, जिसके पास विद्यमान विधि के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है, वहां ऐसे व्यक्ति को नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी जाने वाली किसी विवरणी में सेनवेट प्रत्यय की रकम को, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में प्रत्यय के रूप में [1][ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,] जो विहित की जाए, अनुज्ञात किया जाएगाः

परंतु यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से तीन मास की अवधि के भीतर नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी विवरणी दे देता है, तो ऐसा प्रत्यय इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात होगा कि उक्त विवरणी या तो मूल विवरणी है या जहां प्रत्यय की रकम को पूर्व में दावा की गई रकम से कम किया गया है, वहां वह पुनरीक्षित विवरणी हैः

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं हैः

परंतु यह भी कि ऐसा प्रत्यय ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से किसी को अंतरित किया जा सकेगा जिनके पास वही स्थायी खाता संख्या है जिसके लिए विद्यमान विधि के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था।

(9) जहां उपलब्ध कराई गई इनपुट सेवाओं के लिए प्राप्त किए गए किसी सेनवेट प्रत्यय को, विद्यमान विधि के अधीन प्रतिफल का तीन मास की अवधि के भीतर संदाय न किए जाने के कारण उलट दिया गया था, वहां [1][ऐसे प्रत्यय का, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस शर्त के अधीन] रहते हुए पुनः दावा किया जा सकता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नियत दिन से तीन मास की अवधि के भीतर सेवाओं की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय कर दिया है।

(10) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में संगणित की जाएगी, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण 1 – [2][उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4)] और उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए नियत दिन को स्टाक में धारित इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों के स्टाक में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में "पात्र शुल्क" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है --

(i) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 128 के द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

[1](iv) * * * * * * * * * * * *

(v) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क; और

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ।

स्पष्टीकरण 2 – [2][उपधारा (1) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में "पात्र शुल्क और कर" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है --

(i) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

(iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क;

[3][(iv) * * * * * * * * * * * *

(v) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क;

(vii) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क; और

(viii) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर ।

[1][स्पष्टीकरण 3 – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, "पात्र शुल्क और कर" पद में ऐसा कोई उपकर सम्मिलित है, जिसे स्पष्टीकरण 1 में या स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हैं और ऐसा कोई उपकर जिसका सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहण किया गया हैं।]

141. जॉब कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध -- (1) जहां कारबार के स्थान पर प्राप्त किन्हीं इनपुटों को, उस रूप में या जॉब कर्मकार द्वारा उनके संबंध में आंशिक रूप से प्रसंस्करण किए जाने के पश्चात्, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार आगे और प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए हटाया जाता है और ऐसे इनपुटों को नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान पर वापस लौटाया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसे इनपुटों को जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता हैः

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगीः

परंतु यह और कि यदि ऐसा इनपुट इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूली किए जाने का दायी होगा ।

(2) जहां कोई अर्ध-निर्मित माल नियत दिन से पूर्व कारबार के किसी स्थान से विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किए जाने के लिए हटाया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान पर वापस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता हैः

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगाः

परंतु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूली किए जाने के लिए दायी होगाः

[1] [1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 28 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 28 द्वारा लोप किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु यह भी कि विनिर्माता, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, उक्त मालों को, भारत में कर के संदाय पर या निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना, इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में, वहां से उनकी पूर्ति के प्रयोजन के लिए स्थानांतरित कर सकेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद-शुल्क्य माल किसी अन्य प्रसंस्करण अथवा बाहर कोई परीक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के संदाय के बिना किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था, विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत दिन और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त स्थान पर अथवा नियत दिन के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता हैः

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को, दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूली किए जाने के लिए दायी होगाः

परन्तु यह भी कि विनिर्माता, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात हेतु कर के बिना संदाय अथवा भारत में कर के संदाय पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर पर उक्त माल को स्थानांतरित करता है।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और जॉब कर्मकार यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से जॉब कर्मकार द्वारा स्टाक में धारित माल अथवा इनपुट के ब्यौरे की घोषणा करेगा।

142. प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध -- (1) जहां ऐसे किसी माल को, जिस पर किसी शुल्क का, यदि कोई हो, उसके हटाए जाने के समय विद्यमान विधि के अधीन संदाय किया गया था, जो नियत दिन से पूर्व छह मास से पूर्व का समय न हो, नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के स्थान पर वापस लौटाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को लौटाया जाता है तथा ऐसा माल उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से पहचान किए जाने योग्य हैः

परन्तु यदि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है, तो ऐसे माल की वापसी एक पूर्ति समझी जाएगी।

(2) (क) जहां नियत दिन से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिन के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को हटाया या उपलब्ध कराया था, कीमत के ऐसे पुनरीक्षण से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्तिकर्ता को, ऐसी विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस नियम के अधीन की गई जावक पूर्ति के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत दिन से पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिन के पश्चात् अथवा उससे पूर्व नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को हटाया या उपलब्ध कराया था, प्राप्तिकर्ता को, कीमत के ऐसे पुनरीक्षण से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाले अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को जारी कर सकेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमा पत्र को इस अधिनियम के अधीन की गई जावक पूर्ति के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगाः

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल तब जमा पत्र के जारी किए जाने पर उसके कर दायित्व को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि जमा पत्र के पाने वाले ने कर दायित्व में ऐसी कमी के तत्समान उसका इनपुट कर प्रत्यय घटा दिया है।

(3) विद्यमान विधि के अधीन सेनवेट प्रत्यय, शुल्क, कर, ब्याज की रकम अथवा विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्रोद्भूत होने वाली किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी नकद संदाय किया जाएगाः

परन्तु जहां सेनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः नामंजूर किया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर की गई रकम व्यपगत हो जाएगीः

परन्तु यह और कि जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) नियत दिन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् निर्यात किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी शुल्क अथवा कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसरण में निपटाया जाएगाः

परन्तु जहां सेनवेट प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः नामंजूर किया जाता है वहां इस प्रकार नामंजूर की गई रकम व्यपगत हो जाएगीः

परन्तु यह और कि जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवैट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

COURT BOOK

(5) उपलब्ध न कराई गई सेवाओं के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और अंततः उसे प्रोद्भूत होने वाली किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद संदाय किया जाएगा।

(6)(क) सेनवेट प्रत्यय के लिए किए गए किसी दावे के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् आरंभ किया गया था तथा दावाकर्ता को अनुज्ञेय पाई जाने वाली प्रत्यय की किसी रकम का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और नामंजूर की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगीः

परन्तु जहां नियत दिन को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रनीत किया गया है वहां सेनवेट प्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) सेनवेट प्रत्यय की वसूली के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही को चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम, ऐसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती है वहां उसकी, जब तक कि उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन वसूली न कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7)(क) आउटपुट शुल्क अथवा कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि ऐसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप कोई प्रत्यय की रकम वसूलनीय हो जाती है वहां उसकी, जब तक कि उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन वसूली न कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आउटपुट शुल्क अथवा कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनर्विलोकन अथवा निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा दावाकर्ता को स्वीकार योग्य पाई गई दावाकृत रकम का, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन नकद इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित की गई किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूलनीय हो जाती है, वहां जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गई हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी तथा इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित की गई किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के अनुसरण में कोई कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उसका उसे नकद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(9)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी को, नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षित किया जाता है और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पाई जाती है अथवा सेनवेट प्रत्यय की रकम अननुज्ञेय पाई जाती है, वहां जब तक कि उसे विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई कोई विवरणी नियत दिन के पश्चात्, किंतु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदेय पाई जाती है अथवा सेनवेट प्रत्यय की कोई रकम किसी कराधेय व्यक्ति को अनुज्ञेय पाई जाती है, वहां विद्यमान विधि के अधीन जब तक कि उसका प्रतिदाय नहीं कर दिया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख की उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय, विद्यमान विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नकद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

COURT BOOK

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख को या उसके पश्चात् माल या सेवा अथवा दोनों की पूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगी ।

(11) (क) धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक संदेय नहीं होगा, जहां तक उक्त कर राज्य के मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहणीय था ।

(ख) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक संदेय नहीं होगा, जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 (1944 का 32) के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहणीय था ।

(ग) जहां कोई कर मूल्य वर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 (1944 का 32) के अध्याय 5, दोनों के अधीन किसी पूर्ति पर संदत्त किया गया था, वहां ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय होगा, तथा कराधेय व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्य वर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को लेने के लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की, उस रीति में जो विहित की जाए, संगणना की जाएगी ।

(12) जहां कोई माल नियत दिन से छह मास से कम पूर्व अनुमोदन के आधार पर भेजा गया था और उसे नियत तारीख को या उसके पश्चात् क्रेता द्वारा नामंजूर किया जाता है या उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है और उसे विक्रेता को लौटा दिया जाता है, वहां उस पर कोई कर देय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता हैः

परन्तु पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि कर, माल को वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय होगा, यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता हैः

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है ।

(13) जहां किसी पूर्तिकार ने माल का कोई विक्रय किया है, जिसके संबंध में मूल्य वर्धित कर से संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की किसी विधि के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और पूर्तिकार द्वारा नियत दिन के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, वहां धारा 51 के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त पूर्तिकार को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है ।

स्पष्टीकरण -- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "पूंजी माल", "केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवेट) प्रत्यय", "प्रथम प्रक्रम व्यौहारी", "दूसरा प्रक्रम व्यौहारी" अथवा "विनिर्माता" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमशः केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन है ।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. जॉब कार्य की प्रक्रिया -- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" कहा गया है) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए और संसूचना के अधीन जॉब कार्य के लिए जॉब कर्मकार को बिना कर के संदाय के कोई इनपुट अथवा पूंजी माल भेज सकता है तथा वहां से पश्चातवर्ती किसी अन्य जॉब कर्मकार को भेज सकता है और वह --

(क) जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी मालों को, कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान पर उन्हें भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा;

(ख) जॉब कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुटों या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी मालों की, यथास्थिति, कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना जॉब कर्मकार के कारबार के किसी स्थान पर उन्हें भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर पूर्ति करेगाः

परन्तु प्रधान, खंड (ख) के निबंधनों में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की पूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान निम्नलिखित दशा के सिवाय कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है --

(i) जहां जॉब कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की पूर्ति में लगा हुआ है जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

[1][परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमश: एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।]

(2) इनपुट अथवा पूंजी लाभ के लिए समुचित लेखाओं को बनाए रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा ।

(3) जहां जॉब कार्य हेतु भेजे गए इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में कार्य्रों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उन्हें बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे ।

(4) जहां जॉब कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब कर्मकार के कारबार के स्थान से उनकी पूति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी मालों की जॉब कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी जॉब कार्य के दौरान जनित कोई अपशिष्ट या स्क्रैप की, कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे जॉब कर्मकार के द्वारा पूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा यदि जॉब कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो प्रधान द्वारा पूर्ति की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण -- जॉब कार्य के प्रयोजनों के लिए इनपुटों में, प्रधान या किसी जॉब कर्मकार द्वारा इनपुटों पर क्रियान्वित किसी उपचार या प्रक्रिया से उद्‌भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित हैं ।

144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा -- जहां कोई दस्तावेज --

(i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है; अथवा

(iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जिसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है, के विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहां --

(क) जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जाएगी कि --

(i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु सत्य है;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्तलिखित हो अथवा जिसके बारे में न्यायालय ने युक्तियुक्त रूप से यह माना हो कि वह विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है अथवा उसके द्वारा हस्तलिखित है और ऐसे दस्तावेज के निष्पादित या अनुप्रमाणित होने की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्यित रूप से उस व्यक्ति द्वारा निष्पादन या अनुप्रमाणन किया गया है;

(ख) यह होते हुए भी कि दस्तावेज सम्यक्तः स्टांपित नहीं है, साक्ष्यस्वरूप दस्तावेज को स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य है ।

145. माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियों और कंप्यूटर प्रिंट-आउट की दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता -- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी --

(क) किसी दस्तावेज की माइक्रो फिल्म या ऐसे माइक्रो फिल्म में जड़ा हुआ चित्र या जड़े हुए चित्रों की पुनः प्रस्तुति (चाहे वे बड़े हों अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जो किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित किसी मुद्रित सामग्री में सम्मिलित है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए; या

COURT BOOK

(घ) किसी युक्ति या मीडिया में इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की तैयार की गई हार्ड प्रतियां भी हैं,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे स्वीकार्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की किसी विषय-वस्तु के साक्ष्यस्वरूप या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के कारण साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गई है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र --

(क) जो ऐसे दस्तावेज की पहचान करता है जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था;

(ख) जो उस दस्तावेज को तैयार करने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को प्रस्तुत करता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाणपत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु किसी मामले के संबंध में यह पर्याप्त होगा कि उसका कथन उसे करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से किया गया है।

146. सामान्य पोर्टलकृ -- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के लिए, कर के संदाय, विवरणी को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर की संगणना और समाधान, इलैक्ट्रोनिक माध्यम से बिल और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, के लिए माल और सेवा कर संबंधी सामान्य इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

147. निर्यात समझा जाना -- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत से बाहर नहीं जाता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय, भारतीय रुपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विनिर्मित किया गया है, यह अधिसूचित कर सकेगी कि ऐसे कतिपय माल की पूर्ति को निर्यात के रूप में समझा जाएगा।

148. कतिपय कार्यवाहियों के लिए विशेष प्रक्रिया -- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिनमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विवरणी का प्रस्तुत किया जाना, कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकेगी।

149. माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग -- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समनुदेशित किया जा सकेगा।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग अंकों को ऐसे मानकों के आधार पर, जो विहित किए जाएं, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग अंकों को आवधिक अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पब्लिक डोमेन में भी रखा जा सकेगा।

150. सूचना विवरणी देने की बाध्यता -- (1) कोई व्यक्ति --

(क) जो कोई कराधेय व्यक्ति है; या

(ख) जो कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या

(ग) जो मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आउटपुट कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी है; या

(घ) जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय-कर प्राधिकारी है; या

(ङ) जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंक कंपनी है; या

(च) जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त किसी इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक है; या

(छ) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार है; या

(ज) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार है; या

COURT BOOK

(झ) जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त प्राधिकारी है; या

(ञ) जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है; या

(ट) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है; या

(ठ) जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट निक्षेपागार है; या

(ड) जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या

(ढ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क है; या

(ण) जो ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है; या

(त) जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति है,

और जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर के संदाय और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान-प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अवधि और ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप या रीति में जो विहित की जाए और यथा विहित, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना, जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह ऐसी त्रुटिपूर्ण सूचना विवरणी देने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसे ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर उक्त प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए जाने के लिए अनुज्ञात की जाने वाली, ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटि का सुधार करने का एक अवसर देगा, और यदि त्रुटि का सुधार उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है, उसे उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस की तामील की तारीख से नब्बे दिनों से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा ।

[1]**[151. सूचना मांगने की शक्ति--**आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में कार्यवाही किए जाने वाले किसी मामले से संबंधित, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।]

152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन -- (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी मामले के संबंध में दी गई [2]*** सूचना, संबद्ध व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित विशिष्टियों की पहचान को समर्थ बनाया जा सके और ऐसी सूचना [3][संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना] इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी ।

[4]* * * * * * *

(3) इस धारा की कोई बात, कराधेय व्यक्तियों के वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन को लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है ।

153. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना -- सहायक आयुक्त की पंक्ति से कम का कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा ।

154. नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति -- आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह समझता है कि यह आवश्यक है, किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा और लिए गए किन्हीं भी नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा ।

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 119 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 121 द्वारा "किसी विवरणी या उसके भाग की" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 120 द्वारा "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" शब्दों का अंत:स्थापित ।
[4] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 120 द्वारा "उपधारा 2" लोप किया गया ।

COURT BOOK

155. सबूत का भार -- जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा ।

156. व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाना -- इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

157. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण -- (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या इस रूप में किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी ।

158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना -- (1) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों की सभी विशिष्टियों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा ।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए, कोई न्यायालय, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के संबंध में इन्हें उसके समक्ष पेश किए जाने या साक्ष्य स्वरूप दिए जाने की अपेक्षा नहीं करेगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, --

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में किन्हीं विशिष्टियों; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को दी गई विशिष्टियों; या

(ग) किसी नोटिस की तामील या किसी मांग की वसूली के लिए किसी विवरणिका की विशिष्टियों, जब ऐसा प्रकटन इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा किया जाता है; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में किसी सिविल न्यायालय को जिसमें, इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है, दी गई विशिष्टियों; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर रसीदों की लेखापरीक्षा या अधिरोपित कर की वसूली के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की किन्हीं विशिष्टियों; या

(च) जहां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के आचार की किसी जांच के प्रयोजन के लिए ऐसा विवरण सुसंगत है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को दी गई विशिष्टियों; या

(छ) कर या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, ऐसी सरकार के किसी अधिकारी को दी गई विशिष्टियों; या

(ज) जब ऐसा प्रकटन किसी लोक सेवक या किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसकी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग द्वारा किया जाता है, ऐसी विशिष्टियों; या

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवसायरत अधिवक्ता, किसी कर व्यवसायी, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचार के आरोप में, यथास्थिति, विधिक व्यवसाय या लागत लेखा या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की वृत्ति में व्यवसायरत सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को जांच से सुसंगत ऐसी विशिष्टियों; या

(ञ) किसी स्वचालित प्रणाली में डाटा की प्रविष्टि करने के प्रयोजनों या किसी स्वचालित प्रणाली के प्रचालन, उसके उन्नयन या अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण को जहां ऐसा अभिकरण संविदा द्वारा, पूर्वोक्त प्रयोजनों के सिवाय ऐसी विशिष्टियों का उपयोग न करने या उनका प्रकटन न करने के लिए आबद्ध है, ऐसी विशिष्टियों, या

(ट) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी अधिकारी की किन्हीं यथावश्यक विशिष्टियों; और

(ठ) प्रकाशन के लिए किन्हीं कराधेय व्यक्तियों के किसी वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन के लिए यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछनीय है, ऐसी सूचना के प्रकाशन के संबंध में, से संबंधित कोई सूचना,

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

के प्रकटन को लागू नहीं होगी ।

159. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन -- (1) यदि आयुक्त, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की यह राय है कि किसी व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के संबंध में ऐसे व्यक्ति के नाम और किन्हीं अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, ऐसे नाम और विशिष्टियों का प्रकाशन कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय का किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण -- फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या संगम के सदस्यों का नाम प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति इसे न्यायोचित ठहराती हैं ।

160. कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियों, आदि का अविधिमान्य न होना -- (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में आरंभ किया गया या किया गया या तात्पर्यित रूप से किया गया कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, सुधार, जारी या स्वीकार किया गया कोई नोटिस, समन या की गई या तात्पर्यित रूप से की गई अन्य कार्यवाहियां, उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी या उन्हें अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसा निर्धारण, पुनः निर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, सुधार, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशयों, प्रयोजनों और अपेक्षाओं के अनुरूप या उनके अनुसरण में सारवान् और प्रभावी हैं ।

(2) किसी नोटिस, आदेश या संसूचना की तामील को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संसूचना पर उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्रवाई कर दी गई है, जिसके नाम उसे जारी किया गया है या जहां ऐसी तामील को ऐसे नोटिस, आदेश या संसूचना के अनुसरण में पूर्व में प्रारंभ की गई या चालू कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया गया है ।

161. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि को सुधारना -- धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, जिसने किसी विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज को पारित या जारी किया है, उसमें किसी त्रुटि, जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है, का या तो उसकी स्वप्रेरणा से या जहां ऐसी त्रुटि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या जो ,यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है, सुधार कर सकेगाः

परंतु ऐसा कोई सुधार ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां सुधार, किसी घटनावश चूक या लोप से उद्भूत होने वाली किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को शुद्ध करने की प्रकृति का हैः

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे सुधार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा ।

162. सविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन -- धारा 117 और धारा 118 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल न्यायालय के पास इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के संबंध में कार्यवाही करने या उससे उद्भूत किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

163. फीस का उद्ग्रहण -- जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जानी है, वहां विहित की जाने वाली फीस संदत्त की जाएगी ।

164. सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या किसी विषय में, नियम बना सकेगी, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन उपबंध करना अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा या विहित किया गया है या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

COURT BOOK

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों में उनका उल्लंघन करने पर दस हजार रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी होगा ।

165. विनियम बनाने की शक्ति -- बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखा जाना -- इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

167. शक्तियों का प्रत्यायोजन -- आयुक्त, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी और प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

168. अनुदेशों या निदेशों को जारी करने की शक्ति -- (1) बोर्ड, यदि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो केन्द्रीय कर अधिकारियों को ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश, जिसे वह उचित, समझे, जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का पालन और अनुपालन करेंगे ।

(2) धारा 2 के खंड (91), धारा 5 की उपधारा (3), धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (ख), धारा 35 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 37 की उपधारा (1), [1]*** धारा 39 [2][[3][धारा 44], धारा 52 की उपधारा (4) और उपधारा (5)] की उपधारा (6), [4][धारा 143 की उपधारा (1), उसके दूसरे परंतुक के सिवाय] [5]*** धारा 158 की उपधारा (3) के खंड (ठ) और धारा 167 में विनिर्दिष्ट आयुक्त से बोर्ड में तैनात कोई आयुक्त या संयुक्त सचिव अभिप्रेत है और ऐसा आयुक्त या संयुक्त सचिव बोर्ड के अनुमोदन से उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[6][**169क. विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार की समय-सीमा बढ़ाए जाने की शक्ति**—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफाशियों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्रवाइयों के संबंध में, जो अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं या जिनका पालन नहीं किया जा सकता है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा को बढ़ा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, उस तारीख से जो, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की श◌ाक्ति भी सम्मिलि है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अनिवार्य बाध्यता" पद से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या प्राकृतिक कारणों से या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाली कोई अन्य आपदा अभिप्रेत है ।]

169. कतिपय परिस्थितियों में नोटिस तामील करना -- (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना की निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात्:--

(क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी, जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित

[1] 2022 के अधिनियम सं० 6 की धारा 114 द्वारा "धारा 38 की उपधारा (2)" शब्दों का लोप किया गया ।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 111 के द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 121 के द्वारा "धारा 44 की उपधारा (1)" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 129 के द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 121 के द्वारा "धारा 151 की उपधारा (1)" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 2020 के अधिनियम सं० 38 की धारा 7 के द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK

व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी वयस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा;

(ख) व्यक्ति, जिसके लिए वह आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा;

(ङ) ऐसे अवस्थान जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, अंतिम ज्ञात रूप में निवास करता था, कारबार करता था या वैयक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचारपत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा;

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग साध्य नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी साध्य नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकरण जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी ।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया था या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से उसकी एक प्रति वहां चिपकाई गई ।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीट पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, उसके अनुसार उसे प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता ।

170. कर का पूर्णांकन, आदि -- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माने की रकम या किसी अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या किसी अन्य शोध्य राशि को निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित किया जाएगा और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रुपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

171. मुनाफाखोरी निरोधी उपाय -- (1) माल या सेवाओं की किसी पूर्ति पर कर की दर में किसी कमी या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे को कीमतों में तत्समान कमी के रूप में प्राप्तिकर्ता को आगे दिया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकरण का गठन कर सकेगी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विद्यमान प्राधिकारी को इस बात की परीक्षा करने के लिए सशक्त कर सकेगी कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में किसी कमी के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की कीमतों में समरूप कमी हुई है ।

(3) उपधारा (2) मे निर्दिष्ट प्राधिकरण विहित की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

[1][(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति उदग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी के अनुपात में प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है ।''।]

172. कठिनाइयों को दूर करना -- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से [1][पांच वर्ष] की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 112 के द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

173. 1994 के अधिनियम संख्यांक 32 का संशोधन -- इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का लोप किया जाएगा ।

174. निरसन और व्यावृत्ति -- (1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 84 में सम्मिलित मालों के सिवाय), औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है), का निरसन किया जाता है ।

(2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित उस विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्, यथास्थिति, "ऐसा सशोधन" या "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),--

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी अप्रवृत्त या अविद्यमान विधि को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों और आदेशों के पूर्व में प्रवर्तन में होने या उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन या ऐसे संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन किए गए आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगाः

परंतु किसी अधिसूचना के द्वारा निवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है;

(घ) किसी शुल्क, कर, अधिभार, जुर्माने, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के प्रति किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या किए गए किसी समपहरण या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और संपरीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य किसी विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी शुल्क, कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और संपरीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तन में रखा जा सकेगा और ऐसे किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज, समपहरण या दंड को इस प्रकार उद्गृहीत या अधिरोपित किया जा सकेगा मानो इन अधिनियमों को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है;

(च) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा जिनके अंतर्गत किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन इस प्रकार जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को, निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला, नहीं समझा जाएगा ।

---

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 130 के द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची 1

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें पूर्ति के रूप में माना जाएगा तब भी यदि उन्हें बिना प्रतिफल के किया गया

1. जहां इनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है, कारबार आस्तियों का स्थायी अंतरण या निपटान।

2. धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति जब वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में की गई हो:

परंतु किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में दिए गए पचास हजार से अनधिक मूल्य के उपहार को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति नहीं माना जाएगा ।

3. (क) किसी मालिक द्वारा उसके अभिकर्ता को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल की पूर्ति करने का वचन देता है; या

(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके मालिक को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है।

4. कारबार को अग्रसर करने या उसके अनुक्रम में, [1][व्यक्ति] द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात ।

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची 2

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप [1][या संव्यवहारों] जिन्हें माल या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा

1. अंतरण --

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल की पूर्ति है;

(ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का, उसके हक के अंतरण के बिना कोई अंतरण, सेवाओं की पूर्ति है;

(ग) कोई करार जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति जैसी सहमति हुई है उसके अनुसार पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर किसी भावी तारीख को हस्तांतरित होगा, माल की पूर्ति है ।

2. भूमि और भवन --

(क) कोई पट्टा, किराएदारी, सुखाचार, भूमि को कब्जा करने की अनुज्ञप्ति सेवाओं की पूर्ति है;

(ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय काम्पलेक्स भी है, चाहे वह पूर्णतः या अंशतः हो, कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं की पूर्ति है ।

3. उपचार या प्रक्रिया --

कोई उपचार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल के संबंध में की जाती है, सेवाओं की पूर्ति है ।

4. कारबार आस्तियों का अंतरण –

(क) जहां माल को, जो कारबार संपत्ति का भाग है, ऐसे व्यक्ति, जो कारबार चला रहा है, के निदेशों के अधीन या उसके द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का हिस्सा न रहें; [2][**********] ऐसा अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति है;

(ख) जहां, व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेश के अधीन माल, जो कारबार के प्रयोजन के लिए रखा या उपयोग किया गया, को कारबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में लाने के लिए रखा गया या उपयोग कर लिया गया या किसी व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, चाहे वह प्रतिफल के लिए है या नहीं, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना माल की पूर्ति है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति नहीं रह जाता है, वहां कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में न रहने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या उसे अग्रसर करने में उसके द्वारा तब तक पूर्ति किया गया समझा जाएगा, जब तक कि --

(i) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता; या

(ii) कारबार वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा ।

5. सेवाओं की पूर्ति --

निम्नलिखित को सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना;

(ख) समापन प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है और जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात् जो भी पहले हो, के सिवाय क्रेता को पूर्णतः या अंशतः विक्रय के लिए आशयित किसी काम्पलेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण।

स्पष्टीकरण -- इस खंड के प्रयोजनों के लिए --

(1) "सक्षम प्राधिकारी" अभिव्यक्ति से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर-अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित में से, कोई अभिप्रेत है, अर्थात्:--

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।

[2] 2020 के अधिनियम सं० 12 की अनुसूची 2 के पैरा 4 के द्वारा लोप किया गया ।

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद्; या

(ii) इंजीनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजीनियर; या

(iii) क्रमशः नगर या शहर या गांव के स्थानीय निकाय का या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक;

(2) "सन्निर्माण" अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण है;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी अंतरण करना;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, क्रमादेशन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, उन्नयन, अभिवृद्धि, क्रियान्वयन;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना; और

(च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण ।

6. संयुक्त पूर्ति --

निम्नलिखित संयुक्त पूर्तियों को सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा; और

(ख) किसी सेवा के माध्यम से या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल, खाद्य वस्तुओं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजों या किन्हीं देयों (मानव उपयोग हेतु मद्यसारिक पान के अतिरिक्त) की पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होती है ।

[1]* * * * * * *

[1] 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 121 द्वारा "पैरा 7" (1-7-2017 से) लोप किया गया ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अनुसूची 3

[धारा 7 देखिए]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को दी गई सेवाएं ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं ।

3. (क) संसद् सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किए गए कृत्य;

(ख) संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत में निर्वहन किए गए कर्तव्य; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में निर्वहन किए गए कर्तव्य और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए ।

4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं भी हैं ।

5. भूमि का विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय ।

6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।

[1][7. गैर- कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति ।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति ।

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत के बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात किंतु घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति ।";

[1]**[स्पष्टीकरण 1] –** पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" पद के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी हैं ।

[1]**[स्पष्टीकरण 2 --** पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए "भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में उसका है।]

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 31 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित किया गया ।